भारतीय निर्यात-आयात बैंक

सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24

विस्तृत जानकारी के लिए
लॉग ऑन करें
www.eximbankindia.in

रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

विषय-सूची

एक्ज़िम बैंक के बारे में 2

इस रिपोर्ट के बारे में 5

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य 6

हितधारक संपर्क
और प्रभाव मूल्यांकन 8

पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन 12

समावेशी वृद्धि और
सामाजिक-आर्थिक विकास 28

विविधता और
कर्मचारी कल्याण 38

उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण
और अभिशासन (गवर्नेंस) 42

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट 53

जीआरआई विषय-वस्तु इंडेक्स 65

एक्ज़िम बैंक के बारे में

एक नजर में

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक निगम के रूप में की गई थी। बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक, पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बैंक भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय चक्र के सभी चरणों में व्यापक सहायता प्रदान करता है। बैंक के वित्तीय उत्पाद भारतीय निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी के आयात, निर्यात उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजारों तक पहुंच बनाने और वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं।

पॉलिसी बैंक के रूप में, बैंक सहभागी देशों को उनकी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए वित्त प्रदान कर और विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने के साथ-साथ उच्च मूल्य वर्धित और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर भारत सरकार की विकास साझेदारी को सुगम बनाने में सहायक रहा है।

बैंक के हितधारक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं से भी लाभान्वित होते हैं। इनमें शोध, मार्केटिंग सहयोग, क्षमता विकास कार्यशालाएं और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ सेमिनारों, वेबिनारों तथा एक्ज़िम मित्र पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारियों का प्रसार करना शामिल है।

बैंक के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय विकास भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना आर्थिक विकास। बैंक अपने इस उत्तरदायित्व को समझता है और इसे ध्यान में रखते हुए अपने सभी परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी को लेकर प्रतिबद्ध है। बैंक का फोकस दोतरफा है - "हरित का वित्तपोषण" और "वित्त का हरितीकरण"। बैंक हरित क्षेत्रों में कंपनियों और परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर हरित का वित्तपोषण करता है। वहीं, बैंक ऋण मूल्यांकन में पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) संबंधी जोखिम आकलन को एकीकृत कर सक्रियता से वित्त का हरितीकरण करता है। यह दोतरफा दृष्टिकोण उत्तरदायित्वपूर्ण और पर्यावरण के प्रति सुविचारित वित्तपोषण सुनिश्चित करता है।

दृष्टि

भारतीय व्यवसायों का वैश्वीकरण और सहभागी देशों के विकास में सुदृढ़ सहयोग करना

उद्देश्य

भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग प्रदान करना

भौगोलिक उपस्थिति

बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विदेशों में आबिदजान, ढाका, दुबई, जोहान्सबर्ग, नैरोबी, सिंगापुर, वाशिंगटन डीसी और यांगून में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और लंदन में एक शाखा है।

हमारा योगदान

निर्यातकों को मध्यम से दीर्घावधि ऋणों में सहयोग प्रदान करने में बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार, बैंक भारत के निर्यातों का परिष्कार करने में योगदान देता है। बैंक की ऋण गतिविधियों को निर्यात ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये ऋण मुख्य रूप से परियोजना निर्यातों और निर्यात क्षमता विकास हेतु वित्तपोषण के लिए प्रदान किए जाते हैं। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय परिचालनों से जुड़े कार्यों के लिए परियोजा निर्यात कॉन्ट्रैक्टों के निष्पादन के लिए आवश्यक अग्रिम भुगतान गारंटी और निष्पादन गारंटी सहित गैर-निधिक ऋण सुविधाएं भी प्रदान करता है। इनमें इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टों के संबंध में विदेशी उधारियों के लिए गारंटियां, साख पत्र, आपाती साख पत्र और अन्य बैंकों के साथ जोखिम प्रतिभागिता करार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

बैंक की बकाया ऋण आस्तियां

	यथा 31 मार्च, 2022 को		यथा 31 मार्च, 2023 को		यथा 31 मार्च, 2024 को	
ऋण का प्रकार	₹ बिलियन	कुल का %	₹ बिलियन	कुल का %	₹ बिलियन	कुल का %
निर्यात ऋण (क)	942.01	80%	1037.55	77%	1103.15	70%
निर्यात क्षमता विकास के लिए वित्त (ख)	234.18	20%	307.68	23%	472.87	30%
कुल निधिक (क+ख)	1176.19	100%	1345.23	100%	1576.02	100%
गैर-निधिक	152.47		170.00		153.46	

मध्यम अवधि की व्यवसाय रणनीति

बैंक ने अपने परिचालनों की व्यापक समीक्षा की है और देश की बदलती प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों के अनुरूप एक दूरंदेशी कार्ययोजना तैयार की है। इस रणनीति में परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग बढ़ाने, निर्यात क्षमता वाले संभावनाओं वाले क्षेत्रों के विकास में योगदान देने, ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के संपूर्ण चक्र में बैंक की भूमिका को बढ़ाने, नए उत्पादों के डिजिटलीकरण, ईएसजी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने और भारत तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

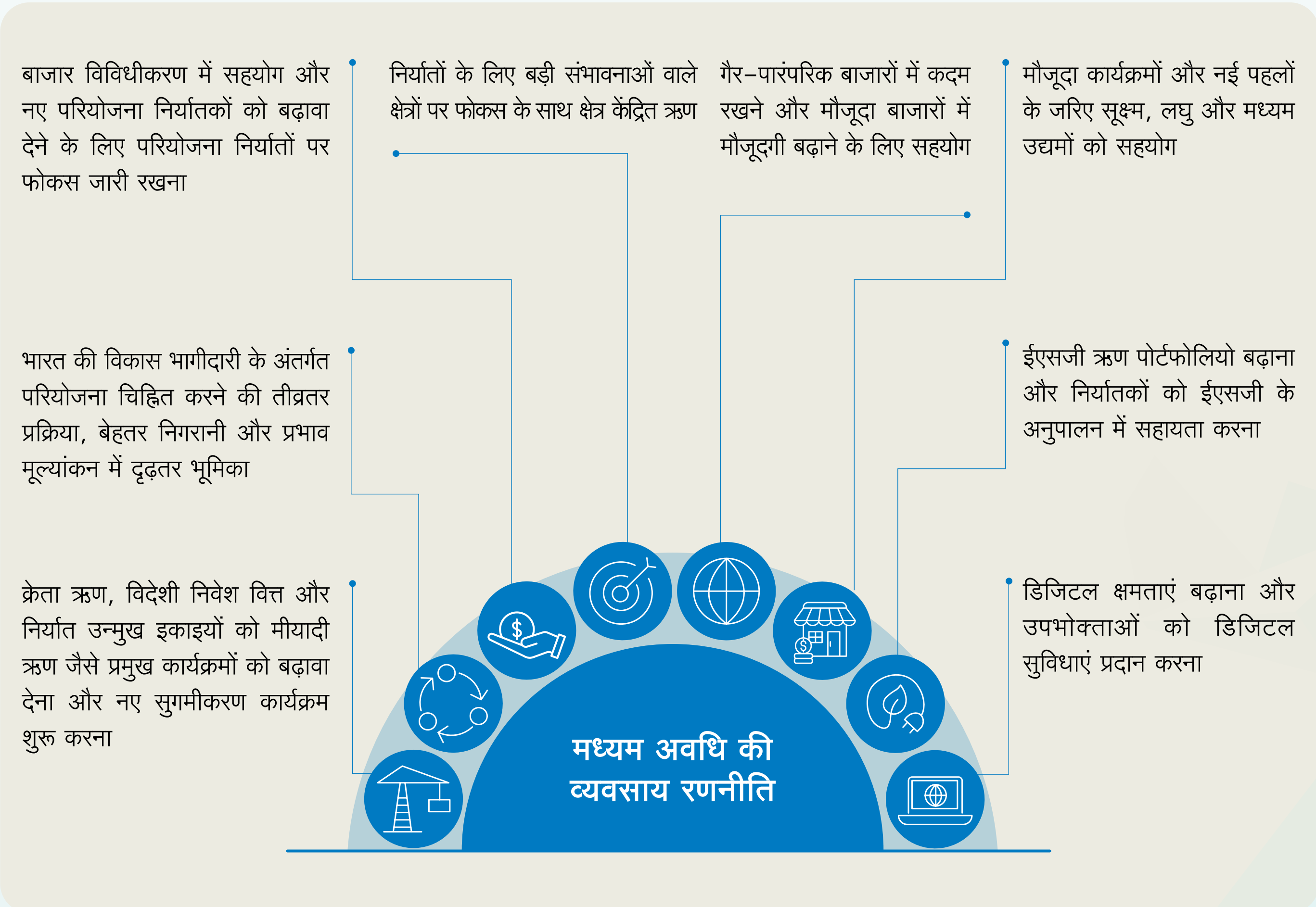

इस रिपोर्ट के बारे में

इस रिपोर्ट में बैंक में सस्टैनेबिलिटी रणनीति, नीतियों, पहलों और कार्यनिष्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वेच्छा से अपनी पहली सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिससे ईएसजी के संबंध में बैंक की प्रतिबद्धता और प्रगति का पता चलता है। इस पहल को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसकी थीम है, **संपर्क, स्पर्धा, संपरिवर्तन से संपोषी विकास**। इस रिपोर्ट में ईएसजी जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति, बैंक की गतिविधियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के प्रबंधन, सुदृढ़ गवर्नेंस और संपोषी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट में पारंपरिक व्यवसायों से लेकर अदोहित बाजारों और देश के दूरस्थ इलाकों तक में स्थित भारतीय व्यवसायों से **संपर्क** की दिशा में किए गए प्रयासों को रेखांकित किया गया है; जिनसे उन भारतीय व्यवसायों को ईएसजी से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं की दृष्टि से देखे जाने वाले वैश्विक बाजार में प्रभावी तरीके से **स्पर्धात्मक** बने रहने; और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अधिक संपोषी कल की दिशा में सार्थक **संपरिवर्तन** पर बल दिया गया है।

रिपोर्टिंग दिशानिर्देश, दायरा और सीमा

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त प्रमुख निष्पादन संकेतक और प्रकटीकरण ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानक 2021 के अनुरूप हैं। रिपोर्ट में स्टैंडअलोन आधार पर बैंक की गतिविधियों और प्रगति को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि से संबंधित जानकारी शामिल है। रिपोर्ट का दायरा और सीमा बैंक के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित है।

बैंक के संबंध में प्रभाव विषयों की समीक्षा करने के लिए, बैंक द्वारा जीआरआई मानक 2021 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक द्वारा एक नया प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, बैंक के लिए प्रभाव विषयों को क्रमबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे प्रभाव को रेखांकित किया गया है, जिसका बैंक पर आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस की दृष्टि से प्रभाव पड़ता है और जो सभी प्रमुख हितधारकों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में जीआरआई विषय-वस्तु सूचकांक (कंटेंट इंडेक्स) भी शामिल किया गया है। इस सूचकांक में जीआरआई मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं और उनके अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों का रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु की बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई है और अनुमोदित किया गया है।

पुनर्कथन

रिपोर्टिंग वर्ष में, सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी के कोई पुनर्कथन नहीं रहे।

वर्ष के दौरान बैंक के संगठन या आपूर्ति श्रृंखला में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं रहा।

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

आने वाला समय संपोषी कल की दृष्टि से एक रूपांतरकारी परिवर्तन होगा। ऐसा कल जहां समायोजन, पर्यावरणीय प्रबंधन और समावेशी विकास प्राथमिकता में होंगे। एक्ज़िम बैंक इस क्रांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है।

भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आज देश अब तक के अपने इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है, जहां विकास को गति देने वाले सुधार हैं, जनसांख्यिकीय दृष्टि से लाभ की स्थिति है, बुनियादी ढांचागत विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक वैल्यू चेन लिंकेज हैं। ऐसे में भारत पर्यावरण के प्रति सजग, संपोषी और समावेशी विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए नीतिगत पहलों से लेकर निजी क्षेत्र के निवेशों तथा नवाचार तक को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इन नीतिगत पहलों के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) या ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं को उपयुक्त तरीके से लागू कर रहा है। भारत ने 2005 से 2009 के दौरान जीडीपी की तुलना में अपने कार्बन उत्सर्जनों को सफलतापूर्वक 33 प्रतिशत तक कम किया है। इसके अलावा, आज देश की स्थापित विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के जरिए है। भारत ने यह लक्ष्य 2030 के निर्धारित समय से नौ साल पहले हासिल कर लिया है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के क्रम में भारत ने अपने एनडीसी में 2022 में संशोधन किया था और भारत इन लक्ष्यों को हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। साथ ही, भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़िलिएंट आइलैंड्स स्टेट्स, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों के जरिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है और एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में यह भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों की जरूरतों से परिचित है। संपोषी और न्यून-कार्बन विकास की दिशा में बढ़ते फोकस के अनुरूप, बैंक अपनी नीतियों को सक्रिय रूप से परिष्कृत और आंतरिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता रहा है। साथ ही, बैंक संपोषी वित्तपोषण पर फोकस कर रहा है और अपने परिचालनों के हर पहलू में सस्टैनेबिलिटी को एकीकृत करने के लिए प्रयासरत है।

एक्ज़िम बैंक में हम अपनी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रकाशित कर संपोषी पद्धतियों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और हितधारक संपर्क की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहे हैं। बैंक की यह दूसरी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हितधारकों से स्पष्ट, तुलनीय और विश्वसनीय संचार के लिए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानक के अनुसार तैयार की गई है।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संपोषी विकास के लिए सहयोग

हम प्रमुख निर्यात बाजारों में बढ़ती जलवायु से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों की तत्परता बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऐसी ही गैर-टैरिफ बाधा का एक उदाहरण है। भारत में निजी क्षेत्र द्वारा न्यून-कार्बन उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है और इस परिवर्तन को, अपने व्यवसाय को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति

से संचालित होने, प्रक्रियाओं को कम करने, तीव्र वृद्धि की संभावनाओं वाले क्षेत्रों और बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस परिवर्तन को बढ़ावा देने के क्रम में बैंक ने नवंबर 2023 में अपने वाणिज्यिक ऋण व्यवसाय के अंतर्गत पात्र भारतीय कंपनियों की हरित परियोजनाओं, परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं, सामाजिक और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े निवेशों के वित्तपोषण के लिए संपोषी वित्त कार्यक्रम (एसएफपी) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से हरित और ऐसे क्षेत्रों के उद्योगों में सस्टैनेबलिटी से जुड़ा अच्छा ग्राहक आधार बनाने में मदद मिलेगी, जिनके लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना मुश्किल माना जाता है। हरित वित्त संबंधी राष्ट्रीय वर्गीकरण को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, तथापि बैंक ने एसएफपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए एक आंतरिक वर्गीकरण को परिभाषित किया है। यह वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरित डिपोजिट से संबधित फ्रेमवर्क में चिह्नित किए गए पात्र कार्यकलापों के अनुरूप है।

बैंक द्वारा इस साल 200 मेगावाट की राउंड–द–क्लॉक (आरटीसी) अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए दिया गया सहयोग ऐसी ही एक मिसाल है। इस परियोजना में महाराष्ट्र में 350 मेगावाट की ऑनशोर पवन ऊर्जा क्षमता और राजस्थान में 260 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है। इससे देश के सबसे बड़े एकीकृत ज़िंक उत्पादकों में से एक की शून्य कार्बन उत्सर्जन से संबंधित योजनाओं में मदद मिलेगी। इस परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक को "प्रोजेक्ट फायनैंस इंटरनैशनल (पीएफआई) अवॉर्ड" और एसेट ट्रिपल ए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अवाड्र्स 2024 में "डिकार्बनाइजेशन डील ऑफ द ईयर" से सम्मानित किया गया।

बैंक भारत के विकास साझेदारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सहभागी देशों में संपोषी विकास को बढ़ावा देने और कार्बन–उत्सर्जन घटाने की प्रक्रिया (डीकार्बनाइजेशन) में योगदान दे रहा है। बैंक ने अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, प्रदूषण रोकथाम जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहयोग दिया है। इस तरह हम संपोषी कल के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

संसाधन जुटाना

बैंक द्वारा अपनी रणनीति इस प्रकार तैयार की जा रही है कि बैंक हरित परियोजनाओं, परिवर्तन परियोजनाओं और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े वित्तपोषण में बढ़ती रुचि और इस प्रकार की आस्तियों के विस्तार के साथ, बड़े और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय ईएसजी संसाधनों का सदुपयोग कर पाए। वित्तीय वर्ष 2023–24 में बैंक ने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए कुल 200 मिलियन यूएस डॉलर के दो अल्पावधि संपोषी बॉन्ड जारी किए। इस ट्रांज़ैक्शन के जरिए, बैंक अपने निवेशक आधार को लैटिन अमेरिकी बाजारों में विविधीकृत करने में सफल रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए अपना पहला ग्रीन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (150 मिलियन यूएस डॉलर) जारी किया।

बैंक के संपोषी निर्गमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। बैंक के 1 बिलियन यूएस डॉलर के 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड को प्रतिष्ठित एसेट ट्रिपल ए अवॉड्र्स 2024 दक्षिण एशिया, भारत में सर्वोत्कृष्ट सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, बैंक को अपने संपोषी निर्गमों के लिए विकास वित्त संस्थाओं के लैटिन अमेरिकी संघ (एलीडे) द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये सभी पुरस्कार हमारे ईएसजी फ्रेमवर्क की सुदृढ़ता और विश्वसनीयता को रेखांकित करते हैं तथा संपोषी निर्गमों में हमारी अग्रणी स्थिति की पुष्टि करते हैं।

कार्बन फुटप्रिंट

बैंक पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अपने कार्बन उत्सर्जन के प्रति सजग है और अपने पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में समुचित कदम उठा रहा है। इस वर्ष बैंक ने पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन के सत्यापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को शामिल किया है। यह स्वतंत्र मूल्यांकन और सत्यापन बैंक के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित भविष्य में योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामुदायिक विकास और सशक्तीकरण

सस्टैनेबिलिटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सिर्फ पर्यावरणीय विचार–प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक संपर्क और कर्मचारी कल्याण को भी शामिल किया है। बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड–डे मील प्रदान करने वाले एनजीओ अक्षय पात्र को सहयोग के जरिए वंचित समुदाय के छात्रों को शिक्षा और आवश्यक पोषण उपलब्ध करा रहा है। बैंक ने बाइक मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन जैसे गैर–पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के क्रम में 200 महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण में सहयोग दिया है। बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम के जरिए सकारात्मक सामाजिक प्रभाव की दिशा में काम रहा है। बैंक ने भारत सरकार की 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी)/ 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (डीईएच) पहल के अनुरूप, पूर्वोत्तर भारत के 5 जिलों सहित 64 जिलों को चिह्नित किया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जिला स्तर पर निर्यात क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया है। सरैमिक उद्योग से संबंधित प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा में अत्याधुनिक 3डी डिज़ाइन स्टूडियो की स्थापना ऐसे ही योगदान का एक उदाहरण है। इस योगदान से 15,000 कामगारों को रोजगार देने वाली 300 इकाइयां लाभान्वित हुई हैं। बैंक ने फूलों का निर्यात करने वाली पुणे की एक पुष्पोत्पादक कंपनी को एम्स्टर्डम में एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी सहयोग प्रदान किया है। वित्तीय सहायता के अलावा, बैंक ग्रासरूट उद्यमों को कौशल विकास कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए भी सहायता प्रदान करता रहा है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक ने इन कार्यक्रमों के जरिए दस्तकारों, किसानों और बुनकरों को 139,000 पर्सन–डेज़ का सहयोग दिया।

आगे की राह

आने वाला समय संपोषी कल की दृष्टि से एक रूपांतरकारी परिवर्तन होगा। ऐसा कल जहां समायोजन, पर्यावरणीय प्रबंधन और समावेशी विकास प्राथमिकता में होंगे। एक्ज़िम बैंक इस क्रांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है। आज हम संपोषी कल के निर्माण में वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए भारतीय कंपनियों को पर्यावरणीय तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, विकासशील देशों को उनके हरित और समावेशी विकास में भी सहयोग कर रहे हैं।

हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

हितधारक संपर्क और प्रभाव मूल्यांकन

प्रत्येक श्रेणी के हितधारकों के लिए महत्त्वपूर्ण मामलों को समझने की दृष्टि से वर्ष के दौरान, हितधारकों और उनके चिह्नित संपर्कों के सर्वेक्षण किए गए।

बैंक अपने व्यवसाय परिचालनों को पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। बैंक समझता है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के लिए संपोषी विकास अत्यावश्यक है। बैंक ने इसके अनुरूप, अपनी व्यवसाय नीति, रणनीति और परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी सिद्धांत को एकीकृत किया है। यह बताता है कि बैंक के ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों, समुदायों, सरकार, विनियामकों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सस्टैनेबिलिटी का बढ़ता महत्त्व बैंक के लिए कितने मायने रखता है।

बैंक अपने परिचालनों को सस्टैनेबिलिटी उद्देश्यों के अनुरूप बनाते हुए अपने स्टेकहोल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाना, सस्टैनेबिलिटी और परिवर्तन वित्त (ट्रांज़िशन फायनैंस) पर फोकस, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा गवर्नैंस को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित कर रहा है।

बैंक का सस्टैनेबिलिटी दृष्टिकोण, भारतीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के बैंक के उद्देश्य के अनुरूप है। भारतीय कंपनियां सहभागी देशों, व्यक्तियों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों द्वारा न्यून कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ते हुए उनकी बदलती मांगों के अनुरूप काम कर रही हैं और बैंक उन्हें उनके इन प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हितधारक संपर्क

बैंक भारत की निर्यात विकास यात्रा में सहयोग करते हुए आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ मिलकर नियमित रूप से काम करता है। इन हितधारकों में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो बैंक के परिचालनों के मुख्य प्रेरक बल हैं। चूंकि बैंक भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है और पूंजीगत सहायता के लिए सरकार पर निर्भर है तथा भारत सरकार के निर्देश पर किया जाने वाला बैंक का बड़ा पॉलिसी व्यवसाय भी है, अतः भारत सरकार प्रमुख हितधारकों में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे विनियामक भी बैंक के महत्त्वपूर्ण हितधारक हैं और बैंक, इन विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा चर्चा पत्रों पर भी बारीकी से निगाह बनाए रखता है। बैंक बाजार से संसाधन जुटाता है और उन्हें आगे ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह, निवेशक भी बैंक के अहम हितधारक हो जाते हैं। बैंक के अन्य बाह्य हितधारकों में उधारकर्ता ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और विक्रेता एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार तथा ग्रासरूट संस्थाएं शामिल हैं।

बैंक के विभिन्न समूहों के सदस्यों वाली बैंक की संपोषी वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के लिए 22 प्रभाव विषयों को चिह्नित किया है। इन्हें आंतरिक हितधारकों के साथ चर्चा, समकक्ष समीक्षा और सेक्टर अनुसंधान के आधार पर चिह्नित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में, बैंक के लिए आठ अतिरिक्त प्रभाव विषयों को चिह्नित किया गया। इन प्रभाव विषयों को पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव तथा गवर्नैंस के तीन प्रमुख थीम में वर्गीकृत किया जा सकता है। संपोषी वित्त समिति ने बैंक के हितधारकों को निर्णयन और ईएसजी प्रबंधन पर उनके प्रभाव की डिग्री के आधार पर क्रमबद्ध किया है।

बैंक के स्टेकहोल्डरों की प्रत्येक श्रेणी के लिए महत्त्वपूर्ण मामलों को समझने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान, हितधारकों और उनके चिह्नित संपर्कों का सर्वेक्षण भी किया गया। इसके साथ ही बैंक के व्यवसाय के संबंध में प्रभाव विषयों के महत्त्व का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक हितधारकों का सर्वेक्षण भी किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसे नीचे दिए गए चार्ट 1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

चार्ट 1: एक्ज़िम बैंक का ईएसजी प्रभाव मैट्रिक्स

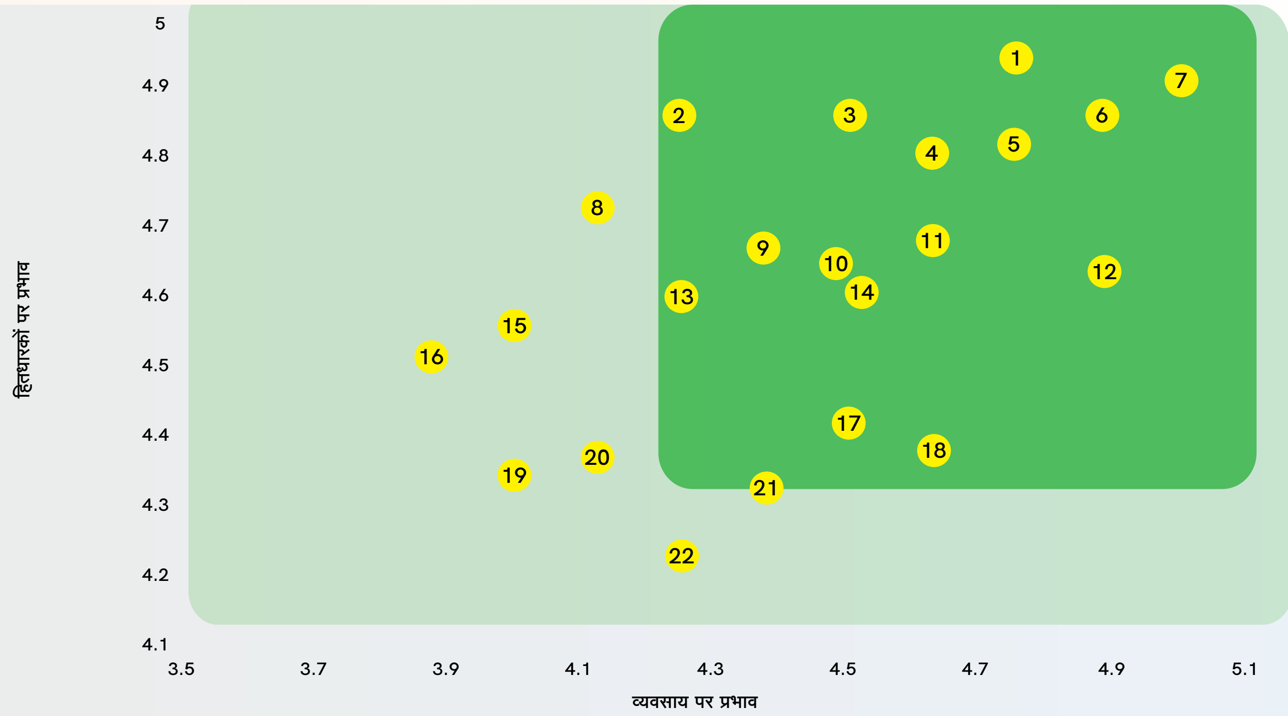

नोट: हितधारकों से प्रभाव विषयों का मूल्यांकन 1 से 5 तक के स्केल पर करने के लिए कहा गया था और सभी विषयों को इस स्केल पर 3.8 से अधिक स्कोर किया गया, जो बैंक के लिए सभी विषयों के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। चार्ट में हरे रंग में दर्शाए गए विषय बैंक के संबंध में अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जबकि शेष मध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

1. सिद्धांत और सत्यनिष्ठा
2. सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक कल्याण
3. डेटा निजता और आईटी सुरक्षा
4. बैंक द्वारा सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर फोकस
5. ईएसजी निगरानी, गवर्नेंस और सम्यक जांच
6. जोखिम प्रबंधन
7. विनियामकीय अनुपालन
8. समुदायों पर अप्रत्यक्ष सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
9. बैंक के कार्बन फुटप्रिंट में कमी और संसाधन दक्षता
10. कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास
11. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता
12. ग्राहक अनुभव और संतुष्टि
13. ज्ञान पूंजी का विकास
14. डिजीटलीकरण
15. विविधता और समावेशन
16. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
17. कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण
18. कंपनियों को व्यापार में जलवायु संबंधित गैर–टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए बैंक द्वारा अंतरण (ट्रांज़िशन) वित्त
19. भौतिक और अंतरण जोखिम
20. मूल्य शृंखला प्रबंधन
21. हरित अंतरण और सस्टैनेबिलिटी से संबद्ध वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद
22. सामाजिक वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद

बैंक के लिए ईएसजी प्रभाव विषय

पर्यावरणीय प्रभाव

ईएसजी निगरानी, गवर्नैंस और सम्यक जांच: बैंक में अपने ऋण परिचालनों में ईएसजी जोखिमों को दूर और कम करने के लिए संपोषी विकास / उत्तरदायी वित्तपोषण संबंधी एक व्यापक नीति है। इस नीति में गवर्नैंस संरचना और जोखिम निर्धारण मॉडल निर्धारित किया गया है, जो ईएसजी मामलों में सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित करता है। बैंक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को समझता है और बैंक ने अपने ईएसजी जोखिम मूल्यांकन मॉडल में जलवायु जोखिम संबंधी पहलुओं को शामिल किया है। इसके अलावा, बैंक में एक ईएसजी फ्रेमवर्क लागू है, जिसमें बैंक की व्यवसाय रणनीति के अनुरूप, सकारात्मक पर्यावरणीय और/या सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए संपोषी वित्तपोषण ट्रांज़ैक्शन करने की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

उत्तरदायी वित्तपोषण, सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर फोकस: बैंक उत्तरदायी ऋण प्रदान करने और वित्त को संपोषी गतिविधियों तथा संपोषी क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक की संपोषी वित्त समिति, बैंक की सस्टैनेबिलिटी रणनीति को कार्यान्वित करती है और अपने ऋण परिचालनों से न्यूनतम नकारात्मक और अधिकतम सकारात्मक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के लिए व्यवसाय इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करती है।

कार्बन फुटप्रिंट में कमी और संसाधन दक्षता: बैंक धीरे-धीरे अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाया गया पहला अनिवार्य कदम है, मौजूदा कार्बन फुटप्रिंट को मापना और इसमें कमी करने के वृद्धिशील उपाय चिह्नित करना। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने हवाई यात्रा से स्कोप 3 उत्सर्जन की भी गणना की है और बैंक द्वारा किए गए वृक्षारोपण के माध्यम से कम हुए उत्सर्जन प्रभाव का आकलन भी किया गया है।

हरित, परिवर्तन और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद: भारतीय निर्यातकों द्वारा हरित, परिवर्तन और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े वित्त की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ते ईएसजी विषयों के चलते बैंक ने 'संपोषी वित्त कार्यक्रम' शुरू किया है। इस अभिनव पहल के जरिए बैंक को कंपनियों की विविध वित्तपोषण जरूरतों के लिए वित्त उपलब्ध कराने और इस तरह इन व्यवसायों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और संपोषी राहों पर आगे बढ़ने में सहयोग करने में मदद मिली है।

कंपनियों को व्यापार में जलवायु संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए बैंक द्वारा परिवर्तन वित्त: जलवायु से संबंधित व्यापार अवरोधों के बढ़ने और शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत की अपनी प्रतिबद्धता के साथ परिवर्तन वित्त की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बैंक अपने संपोषी वित्त कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों की परिवर्तन वित्त संबंधी जरूरतें पूरी करता है।

सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव

सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक कल्याण: बैंक की सीएसआर नीति और सीएसआर कार्यक्रमों का उद्देश्य, सार्थक सामुदायिक प्रभाव सृजित करना और संपोषी विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान देना है। इसके अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सहयोग, अन्य के साथ-साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और तथा महिला सशक्तीकरण और खेलों में किए गए बहुआयामी उपाय जन सशक्तीकरण का माध्यम बन रहे हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।

बैंक, सहभागी देशों में जटिल बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं के लिए उन देशों को भारत सरकार की ओर से ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। बैंक के लिए ये ऋण-व्यवस्थाएं इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जरिए वित्तपोषित परियोजनाएं सहभागी देशों में सकारात्मक आर्थिक-सामाजिक प्रभाव की वाहक बन रही हैं और बैंक के इन ऋण परिचालनों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं (मास) कार्यक्रमों ने देश में पारंपरिक शिल्प कला से जुड़े लोगों, दस्तकारों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करते हुए समाज के अपेक्षाकृत वंचित तबकों की आवश्यकताएं पूरी करने में योगदान दिया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता के अंतर को दूर करने और उन्हें निर्यात बाजारों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास वित्त संस्था के रूप में, बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने में सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई पहलें की हैं। इनमें नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी); भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोई भी निर्यात अवसर वित्त के अभाव में न छूटे, यह सुनिश्चित करने वाला व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप); और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरतों के अनुकूल वित्तपोषण सुविधाएं और अर्थक्षम रिसीवेबल प्रबंधन तथा फैक्टरिंग सहित व्यापार वित्त उत्पादन प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी

में एक सहायक कंपनी खोलने जैसी पहलें शामिल हैं।

कार्यबल स्वास्थ्य, विकास और समावेशी पहलें: बैंक ने अपने कर्मचारियों के विकास, स्वास्थ्य और निरंतर कौशल विकास की एक अनुकूल संस्कृति विकसित की है। इसके अलावा, बैंक अपने कर्मचारियों को एक ऐसा विविधीकृत और समावेशी कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर हों। बैंक में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और बैंक इसके प्रति ज़ीरो–टॉलरैंस की नीति अपनाता है।

डिजिटलीकरण पहलें: बैंक तकनीक में तीव्र प्रगति का सदुपयोग करते हुए आंतरिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, कागज का प्रयोग कम करने और व्यापार तथा वित्त संबंधी जानकारी के प्रभावी प्रचार–प्रसार संबंधी पहलें कर रहा है।

ज्ञान पूंजी का सृजन: बैंक अपनी शोध गतिविधियों, लोकसंपर्क कार्यक्रमों और एक्ज़िम मित्र जैसे डिजिटल प्लैटफॉर्मों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। इसके साथ ही बैंक देश में सुविचारित नीति निर्माण में योगदान देने के साथ–साथ कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है।

ग्राहक अनुभव और संतुष्टि: बैंक अपने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रयासरत रहता है। बैंक निर्यातक कंपनियों की अपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद तैयार करता है और नई–नई पहलें करता है, जो किसी दूसरे माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही हों।

गवर्नेंस

नैतिकता और सत्यनिष्ठा: बैंक अपने परिचालनों में उच्चतम स्तर की नैतिकता और सत्यनिष्ठा के प्रति कटिबद्ध है। बैंक ने इस प्रकार की नीतियां और फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं, जो उच्चतम पेशेवर और सैद्धांतिक मानकों का पालन करने में कर्मचारियों की मदद करते हैं। साथ ही, कर्मचारियों को नैतिकता और सत्यनिष्ठा के प्रति जागरूक करने के क्रम में उनके लिए नियमित रूप से चर्चा सत्र किए जाते हैं।

विनियामकीय अनुपालन: बैंक, विनियामकों द्वारा निर्धारित सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करता है और विनियामकीय घटनाक्रम पर नजर रखता है। संबंधित आंतरिक स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें विनियामकीय घटनाक्रम से अपडेट रखा जा सके।

जोखिम प्रबंधन: बैंक में जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सुदृढ़ नीतियां, फ्रेमवर्क, सिस्टम और गवर्नेंस संरचनाएं हैं। बैंक में एक विवेकसम्मत जोखिम प्रबंधन संस्कृति बनाने पर फोकस है। सस्टैनेबिलिटी और ईएसजी से जुड़े जोखिमों सहित हर तरह के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और बैंक के जोखिम प्रोफाइल की सतत निगरानी की जाती है।

डेटा निजता और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा: बैंक अनुकूलन और सुदृढ़ आईटी सुरक्षा प्रणालियों तथा नीति निर्माण को बढ़ावा देने में निवेश कर रहा है। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा पर नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और साइबर हमलों के प्रभावी उपाय के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

पर्यावरणीय
प्रभाव का
प्रबंधन

पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन

बैंक भारतीय कंपनियों को पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पद्धतियों को अपनाने और न्यून कार्बन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सहयोग दे रहा है। साथ ही, बैंक सहभागी देशों के शून्य कार्बन उत्सर्जन और संपोषी विकास एजेंडा को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा पर्यावरण-संबंधी अधिसूचनाओं और उपायों में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-2022 के दौरान, डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त अधिसूचनाओं में से 15.6 प्रतिशत पर्यावरण संबंधी रहीं। ये उपाय समय के साथ और बढ़ेंगे। वजह, विभिन्न उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन प्रक्रियाओं में कम प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले उपाय कर रही हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय आयोग ने एक 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (सीबीएएम) प्रस्तावित किया है। इसके तहत सीमेंट, उर्वरकों और धातु-उत्पादों जैसी कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के यूरोपीय संघ के आयातकों को अपने आयातों की मात्रा और अपने उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा रिपोर्ट करनी होगी। इस परिवर्तन के चरण के बाद, यूरोपीय संघ में आयातकों को सीबीएएम प्रमाणपत्र खरीदने और प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें उनके द्वारा आयात की गई सीबीएएम वस्तुओं से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का उल्लेख होगा। इसलिए भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिक हरित और संपोषी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जरूरी होगा। अमेरिका में, नवंबर 2023 में कांग्रेस में प्रस्तुत किए गए 'फॉरेन पल्यूटर फ्री एक्ट' के चलते कुछ कार्बन-गहन आयातों पर प्रदूषक शुल्क लगाया जाएगा।

जलवायु संबंधी ये उपाय भारत के लिए चुनौतिपूर्ण होंगे। क्योंकि भारत वस्तुओं का निवल आयातक है, किन्तु व्यापार से संबद्ध कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन का निवल निर्यातक है। वर्ष 2021 में, चीन और रूस के बाद भारत व्यापार में संबद्ध CO_2 उत्सर्जन की दृष्टि से तीसरा बड़ा निवल निर्यातक था। बहुत मुमकिन है कि एक विकासशील देश के रूप में, भारत अपनी बड़ी और बढ़ती ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए अपने कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कमी न ला पाए। इसके अलावा, भारत द्वारा अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक संतुलित कार्य होगा। इस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों पर पर्यावरण संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं का प्रभाव पड़ सकता है।

इस सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों के लिए पर्यावरण और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पद्धतियों को अपनाना और न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनियों की फेहरिस्त में शामिल होना जरूरी है। बढ़ती जलवायु-संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं को देखते हुए संपोषी निर्यात के लिए यह जरूरी होगा। यह भारतीय कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, ग्राहकों को जोड़े रखने और एक संपोषी कल के निर्माण में योगदान देने के लिए अपनी गतिविधियों को न्यून कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित करने की दिशा में प्रयासरत रहें।

बैंक, देश से निर्यातों के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्धन के अपने मैंडेट के क्रम में, कॉर्पोरेट और लघु उद्यमों, दोनों व्यवसायों में हरित परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता देने की तात्कालिकता को समझता है। बैंक मौजूदा और उभरते निर्यातकों की हरित और न्यून-कार्बन परिवर्तन गतिविधियों को सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, बैंक ने विशेषत: पर्यावरण और सामाजिक रूप से संपोषी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाए हैं और भारत तथा सहभागी देशों में संपोषी परियोजनाओं को सक्रियता से सहायता प्रदान कर रहा है।

बैंक अपने मुख्य व्यवसाय परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी को एकीकृत कर रहा है। बैंक ने लाभप्रदता और सस्टैनेबिलिटी को प्रभावित करने वाले विभिन्न ईएसजी जोखिमों से बचाव के लिए आंतरिक नीतियां और दिशानिर्देश लागू किए हैं। बैंक का लक्ष्य है कि अपने नए शुरू किए गए संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रत्यक्ष वाणिज्यिक ऋण के 10 प्रतिशत तक ले जाया जाए। इसके अलावा, बैंक अपने स्वयं के परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और तकनीकी उपायों के माध्यम से संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

परिचालनों में पर्यावरणीय दुष्प्रभाव में कमी और परिचालनों में संसाधन दक्षता

बैंक, भारत सरकार की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रयास करता है कि बैंक के परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि न हो, बल्कि इसे कम किया जाए। इसके अलावा बैंक, आरबीआई के 'जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिम, 2024 संबंधी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क' में ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में प्रस्तावित उत्सर्जन संबंधी प्रकटीकरणों के महत्त्व को समझता है।

इस संबंध में, बैंक द्वारा अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को मापा जा रहा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मापन बैंक के परिचालन उत्सर्जनों को उत्तरोत्तर कम करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

एक्ज़िम बैंक का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

बैंक के जीएचजी उत्सर्जन को मापने के लिए 'परिचालनगत नियंत्रण दृष्टिकोण' अपनाया गया है और इसमें बैंक के भारत स्थित सभी कार्यालयों और डेटा केंद्रों का डेटा शामिल है। मापे गए उत्सर्जन, कंपनी की कारों और एयर-कंडीशनरों से लीक रेफ्रिजरैंट से प्रत्यक्ष स्कोप 1 उत्सर्जनों से जुड़े हैं; अप्रत्यक्ष स्कोप 2 उत्सर्जन खरीदी गई बिजली, डीजल से चलने वाले जेनरेटरों से जुड़े हैं; और स्कोप 3 उत्सर्जन व्यवाय संबंधी हवाई यात्रा से जुड़े हैं। आने वाले समय में, बैंक अपनी उत्सर्जन-गहनता को मापना और अपने परिचालनों में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयास जारी रखेगा।

एक्ज़िम बैंक का जीएचजी उत्सर्जन [CO_2e (टन में)]

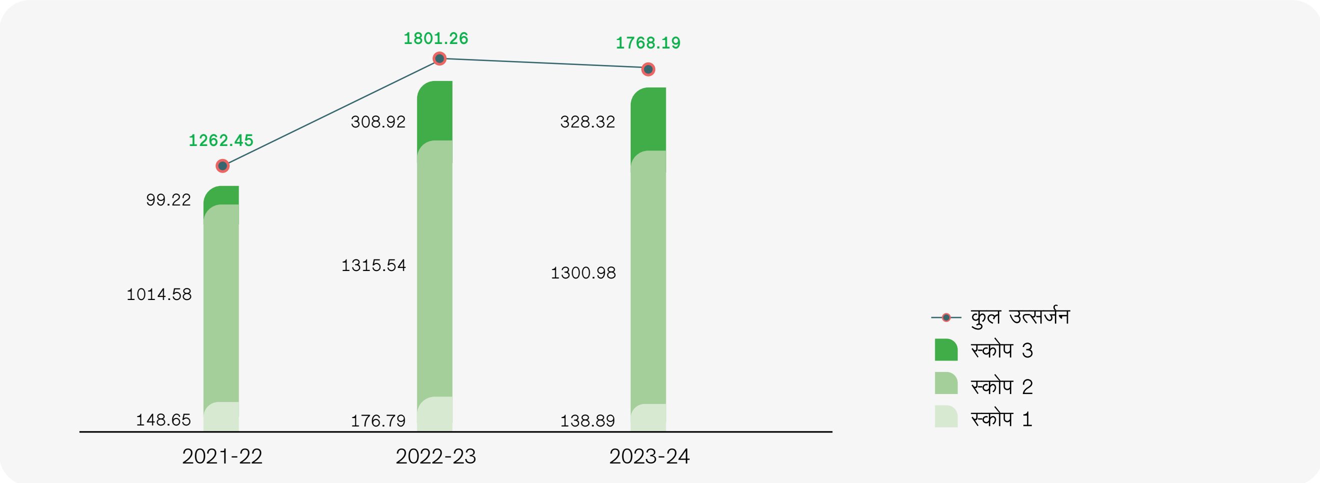

नोट :

1. रिपोर्टिंग सीमा, परिचालनगत सीमा, उत्सर्जनों के चिह्नित स्रोतों, उत्सर्जन गणना पद्धति, जीएचजी उत्सर्जन परिवर्तन और गणना के लिए इस्तेमाल किए गए उत्सर्जन कारक संबंधी विवरण के लिए कृपया जीएचजी उत्सर्जन रिपोर्ट देखें।
2. पीएफसी और एसएफ6 के उत्सर्जन को शून्य माना गया है, क्योंकि बैंक की संस्थागत सीमा और परिचालनगत सीमा में इन उत्सर्जनों के कोई मुख्य स्रोत नहीं रहे।
3. 2021-22 में उत्सर्जन कोविड-19 महामारी के चलते यात्रा संबंधी प्रतिबंधों और बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कई बार प्रदान की गई घर से काम करने की सुविधा के चलते तथा परिणामस्वरूप, कार्यालय परिसरों में उत्सर्जन वाली गतिविधियों के घटने के कारण उत्सर्जन कम रहे।
4. बैंक ने अपने जीएचजी उत्सर्जन को जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाने के लिए डीजल जनरेटरों से होने वाले उत्सर्जन संबंधी स्कोप श्रेणी का पुनर्निर्धारण किया है। थर्ड पार्टी/ लीज़ पर लिए गए डीजल जनरेटरों से उत्सर्जनों को उत्सर्जन श्रेणी में स्कोप 2 के अंतर्गत रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएचजी उत्सर्जन गहनता [CO_2E (टन में)]

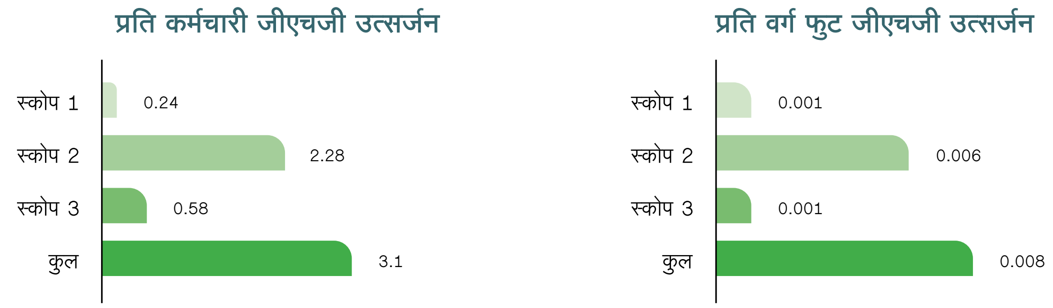

कार्बन फुटप्रिंट कम करने और संसाधन दक्षता में सुधार के उपाय

बैंक ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और संपोषी कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

वृक्षारोपण अभियान: बैंक पर्यावरण प्रबंधन के महत्त्व को समझता है और जिन समुदायों में यह काम करता है, उनके कल्याण में योगदान देने के लिए समर्पित है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बैंक ने अपने दो आवासीय परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया। ये अभियान मुंबई में वर्ष के दौरान, बैंक ने मुंबई में अपने दो आवासीय परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। स्थित आवासीय परिसरों में आयोजित किए गए, जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों ने इस पहल में भाग लिया। समुदाय-केंद्रित इन पर्यावरणीय पहलों से हरित और बेहतर कल की दिशा में बढ़ने के लिए उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।

बैंक वृक्षारोपण करने वाले आईटी-आधारित एक गैर सरकारी संगठन, संकल्पतरु फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करता रहा है। यह फाउंडेशन भारत के विभिन्न राज्यों में वनक्षेत्र बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें राजस्थान के मरुस्थल, असम में ब्रह्मपुत्र के द्वीप, लद्दाख के ठंडे स्थल, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों जैसे दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं। यह संस्था ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तीकरण और स्कूलों की स्वच्छता तथा हरितीकरण को बढ़ावा देती है।

इस फाउंडेशन का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत बनाए रखना है। इस फाउंडेशन ने लगाए गए पेड़ों को जीपीएस प्रौद्योगिकी के जरिए गूगल अर्थ और गूगल मैप्स के साथ जोड़ते हुए पेड़ों की भू-टैगिंग की है और अपने हितधारकों तथा योगदानकर्ताओं को पारदर्शिता प्रदान कर रहा है।

बैंक, ग्रामीण आजीविका सहायता कार्यक्रम के लिए इस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। ग्रामीण आजीविका सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक अब तक अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में 2250 वृक्ष लगाने में सहायता दे चुका है। चूंकि ये फलोत्पादक वृक्ष हैं और आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए किसानों को इन वृक्षों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संकल्पतरु इन वृक्षों पर फल लगने

की अवधि में उन्हें बचाए रखने के उद्देश्य से उनकी निगरानी करता है। शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक ने बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नै और मुंबई में 400 पेड़ों के लिए सहयोग दिया है। वृक्षारोपण के माध्यम से प्रति वर्ष कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को 81.9 टन कम करने में मदद मिलेगी।

लगाए गए पेड़: 2,650

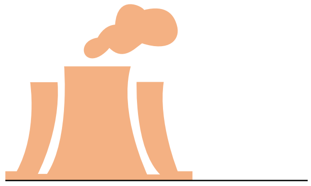

प्रति वर्ष CO_2 उत्सर्जन में कमी: 81.9 टन

ऊर्जा संबंधी पहलें: बैंक ने मुंबई में अपने आवासीय परिसरों के साथ-साथ अपने कार्यालय भवन के पार्किंग क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन बनवाए हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों के जरिए बैंक अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

बैंक ने ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और अपनी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंक ने कार्यालय में पुराने कम ऊर्जाक्षम एयर कंडीशनिंग की जगह 5-स्टार रेटिंग वाले ऊर्जाक्षम एयर कंडीशनिंग लगाए हैं। इसके अलावा, बैंक ने अपने कार्यालय परिसर में बल्ब और ट्यूबलाइटों को ऊर्जाक्षम एलईडी बल्ब/ट्यूब लाइटों से बदल दिया है, जो कम बिजली की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन उपायों से ऊर्जा की खपत कम होने की उम्मीद है। बैंक को अपने नई दिल्ली कार्यालय परिसर के सस्टैनेबल डिजाइन और परिचालनों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन इंटीरियर्स प्लेटिनम रेटिंग से प्राप्त है।

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास में, मुंबई में बैंक के स्वामित्व वाले आवासीय परिसर में सौर पैनल लगाए गए हैं। सौर पैनल, भवन परिसर और स्ट्रीट लाइट के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हैं।

प्लास्टिक के उपयोग को कम करना: एकल उपयोग (सिंगल यूज़) वाले प्लास्टिक उत्पाद प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण का बड़ा कारण हैं और पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करते हैं। बैंक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। बैंक के कार्यालयों में प्लास्टिक के पौधों के स्थान पर वास्तविक पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा, डिस्पोजेबल कपों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर कांच का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ने बोतलबंद पेयजल के बजाय कांच की बोतलों में पेयजल रखना शुरू किया है। इस तरह बैंक ने प्लास्टिक कचरे को कम किया है और संपोषी पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। इन पहलों के माध्यम से, बैंक संपोषी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

जल संरक्षण: जल संरक्षण के लिए, बैंक ने अपने शौचालयों में सेंसर-आधारित नल लगाए हैं, जो उपयोग में नहीं होने पर स्वतः बंद हो जाते हैं और पानी की बर्बादी को कम करते हैं।

कागज की खपत को कम करना: बैंक ने आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन सहित कई प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो रहा है। साथ ही, डिजिटलीकरण से विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलती है, और उन्हें अधिक दक्षतापूर्ण बनाता है। आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन से लगभग 54,000 अनुरोधों की डिजिटल प्रोसेसिंग में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 2,000,000 कागजों की बचत हुई।

डिजिटल प्रक्रियाओं से कागज की आकलित बचत

ऐप्लिकेशन का नाम	वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान कुल अनुरोध	औसत फाइल साइज	डायनैमिक पृष्ठ#	स्टैटिक पृष्ठ*	कागज के कुल पृष्ठों की अनंतिम संख्या (1 एमबी=100)
नोट मॉड्यूल	7659	500 KB	38295	3,44,655	382950
भुगतान मॉड्यूल	9179	700 KB	55074	587456	642530
व्यवसाय प्रक्रिया	2600	1 MB	41600	218400	260000
एचआरएम मॉड्यूल	16500	100 KB	49500	115500	165000
प्रशासनिक प्रक्रिया मॉड्यूल	4500	300 KB	15000	120000	135000
विधिक मॉड्यूल	250	100 KB	2500	0	2500
रिपोर्टें	5000	300 KB	15000	0	15000
विविध	8000	500 KB	50000	350000	400000
कुल	**53688**		**266969**	**1736011**	**2002980**

*स्टैटिक पेज स्कैन की गई प्रतियां हैं। #डायनैमिक पेज सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट हैं।

संपोषी वित्त के लिए प्रतिबद्धता

ईएसजी फ्रेमवर्क

बैंक ने दिसंबर 2021 में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क (ईएसजी) फ्रेमवर्क बनाया था। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी किए जाते हैं और इनकी प्राप्य राशियों का इस्तेमाल संपोषी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को सुगम बनाने वाली विकासशील देशों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मौजूदा या भावी परियोजनाओं के आंशिक या पूर्ण वित्त अथवा पुनर्वित्त के लिए किया जाता है। ईएसजी फ्रेमवर्क छह हरित पात्र हरित श्रेणियां (अक्षय ऊर्जा, सतत अपशिष्ट और जल प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, ऊर्जा दक्षता) और चार सामाजिक क्षेत्रों (आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा और संपोषी खाद्य प्रणाली, एमएसएमई को वित्तपोषण, किफायती आवास) में पात्रता मानदंडों को परिभाषित किया गया है। इस फ्रेमवर्क की समीक्षा सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता सस्टैनैलिटिक्स द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि यह फ्रेमवर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021, ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार संघ (आईसीएमए) और हरित ऋण सिद्धांत 2021 तथा सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 द्वारा प्रशासित है। साथ ही, लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए), और लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा प्रशासित है। एसपीओ ने यह भी उल्लेख किया है कि बैंक परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की अच्छी स्थिति में है।

हरित/ सामाजिक / सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड

बैंक वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं बढ़ाता रहा है। बैंक ने गत दो वर्षों में ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुल 1.4 बिलियन यूएस डॉलर के हरित और संपोषी बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी कर संपोषी वित्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है।

बैंक ने जनवरी 2023 में अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 144ए/रेग-एस फॉर्मेट (जनवरी 2033 में परिपक्व होगा) में 1 बिलियन यूएस डॉलर अपना पहला 10-वर्षीय संपोषी बॉन्ड जारी किया था। यह इंडिया आईएनएक्स जीएसएम ग्रीन प्लैटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला सबसे बड़ा संपोषी बॉन्ड निर्गम था। साथ ही, यह सामाजिक, हरित और संपोषी वित्तपोषण के लिए समर्पित एफ्रिनेक्स के प्लेटफॉर्म आईएफईएक्स ग्रीन पर लिस्ट होने वाला पहला संपोषी बॉन्ड था। इस बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टैनेबल बॉन्ड मार्केट (एसबीएम) प्लेटफॉर्म पर भी लिस्ट किया गया था। बैंक को 30 जनवरी, 2024 को 1 बिलियन यूएस डॉलर के इस सीनियर सस्टैनेबिलिटी नोट निर्गम के लिए प्रतिष्ठित 'एसेट ट्रिपल ए अवॉर्ड्स 2024 दक्षिण एशिया, भारत' में 'सर्वोत्कृष्ट सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड' से पुरस्कृत किया गया।

सामाजिक क्षेत्रों के लिए ईएसजी फ्रेमवर्क

- आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच
- खाद्य सुरक्षा और संपोषी खाद्य प्रणाली
- एमएसएमई को वित्तपोषण
- किफायती आवास

2023-24 के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए 13 माह की औसत मैच्योरिटी अवधि के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर के दो अल्पावधि संपोषी बॉन्ड जारी किए। इन संपोषी बॉन्डों के जरिए लैटिन अमेरिका की शीर्ष वित्तीय संस्थाओं में शामिल एक संस्था ने भी भारत में पहली बार निवेश किया है। इस ट्रांज़ेक्शन के जरिए, बैंक, अपने निवेशक आधार को लैटिन अमेरिकी बाजारों में विविधीकृत करने में सफल रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन फॉर्मेट में 150 यूएस डॉलर का अपना पहला ग्रीन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी किया।

प्राप्य राशियों का उपयोग

संपोषी बॉन्डों की निवल प्राप्य राशियों का उपयोग बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क के तहत ऐसी पात्र परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो इस फ्रेमवर्क में चुनिंदा हरित और सामाजिक श्रेणियों के अनुरूप हों। इनमें अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधारभूत सेवाओं और अवसंरचना तक पहुंच, किफायती आवास और सस्टैनेबल जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

प्राप्य राशियों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया

बैंक की संपोषी वित्त समिति द्वारा इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं को चिह्नित किया गया। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये परियोजनाएं न केवल इस फ्रेमवर्क और

एसपीओ में चिह्नित अनुसार "प्राप्य राशियों का उपयोग" का अनुपालन करती हैं, बल्कि बैंक में लागू, हरित बॉन्ड सिद्धांतों और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांतों और बैंक की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस नीति के भी अनुरूप हैं। इसके अलावा, बैंक को जनवरी 2023 (1 बिलियन यूएस डॉलर) और मार्च 2023 (98.5 मिलियन यूएस डॉलर) 2023 संपोषी बॉन्ड के लिए सस्टैनेलिटिक्स की ओर से निर्गम-पश्चात समीक्षा भी प्राप्त हुई है।

एक्ज़िम बैंक के संपोषी बॉन्डों पर निर्गम-पश्चात मूल्यांकन

2023 संपोषी बॉन्डों से प्राप्त राशि से वित्तपोषित परियोजनाओं और आस्तियों के लिए मूल्यांकन मानदंड तीन पहलुओं पर आधारित रहा कि क्या परियोजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा:

1. फ्रेमवर्क में उल्लिखित राशि के उपयोग और पात्रता मानदंड को पूरा किया गया है; और
2. फ्रेमवर्क में उल्लिखित परियोजना मूल्यांकन और चयन और प्राप्य राशि प्रबंधन संबंधी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया गया है; और
3. फ्रेमवर्क में उल्लिखित प्राप्य राशियों की श्रेणी के आवंटन के संबंध में रिपोर्ट किया गया है।

निर्गम-पश्चात पत्र में उल्लिखित है कि समिति आश्वासन पद्धतियों के आधार पर, सस्टैनेलिटिक्स को कुछ भी संशयात्मक नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि फ्रेमवर्क में सभी प्रमुख मामलों में समीक्षित परियोजनाओं के मानदंड और रिपोर्टिंग प्रतिबद्धताएं प्राप्य राशियों के उपयोग के अनुरूप नहीं हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यथा मार्च 2023 को जारी किए गए कुल 1,098.50 मिलियन यूएस डॉलर के संपोषी बॉन्डों में से 1,019 मिलियन यूएस डॉलर की प्राप्य राशि आवंटित कर दी गई थी और 79.5 मिलियन यूएस डॉलर की शेष प्राप्य राशि को बैंक के लिक्विडिटी संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार रखा जाएगा तथा इसे अल्पावधि जमा के रूप में या निवेश के लिए या गैर-हरित गतिविधियों से संबंधित ऋणों को छोड़कर, किसी भी तरह के अन्य ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

बैंक द्वारा संपोषी वित्तपोषण

भारतीय संदर्भ में संपोषी वित्तपोषण के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं के अनुमानों के अनुसार भारत की

संपोषी वित्त कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ

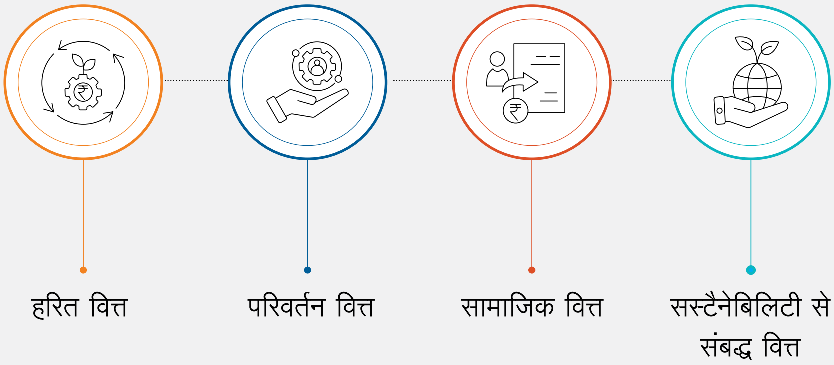

कुल हरित वित्तपोषण आवश्यकताएं देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कम से कम 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत हो सकती हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित परिवर्तन में भारतीय व्यवसायों की उल्लेखनीय भूमिका होगी। इन व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए सस्टैनेबिलिटी को अपनाना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। इस पृष्ठभूमि में न्यून कार्बन उत्सर्जन और संपोषी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में सहयोग देने में वित्तीय क्षेत्र की उल्लेखनीय भूमिका होनी चाहिए।

बैंक संपोषी कल के निर्माण में वित्त की उल्लेखनीय भूमिका को समझता है। विकास वित्त संस्था के रूप में बैंक भारतीय निर्यातकों के संपोषी प्रयासों को सहयोग प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में उन्हें उनके इन प्रयासों में योगदान देता है और इस तरह देश को अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करता है। बैंक ने अपने ग्राहकों को हरित ऊर्जा उपायों को अपनाने और संपोषी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में हरित और संपोषी वित्त प्रदान करते हुए इस दिशा में सक्रियता से काम किया है।

बैंक किसी अर्थव्यवस्था के संपोषी अर्थव्यवस्था में बदलने के महत्त्व को समझता है, जो नवाचार और विकास के अवसर प्रदान करती है। इसलिए हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों तथा संपोषी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने संपोषी वित्तपोषण में एक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंक ने 2023 में पात्र उधारकर्ताओं के हरित (ग्रीन), परिवर्तन (ट्रांज़िशन), सामाजिक और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े निवेशों और व्ययों के वित्तपोषण के क्रम में एक नया ऋण कार्यक्रम, नामत:, संपोषी वित्तपोषण कार्यक्रम (एसएफपी) शुरू किया।

हरित वित्त

हरित वित्तपोषण में पर्यावरण-उन्मुख प्रौद्योगिकियों, परियोजनाओं, उद्योगों या व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार का निधीयन (फंडिंग) शामिल है। हालांकि भारत का हरित वर्गीकरण ('ग्रीन टैक्सोनॉमी') कार्य अभी प्रगति पर ही है, तथापि सेबी और आरबीआई जैसे वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बैंक ने सेबी और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को हरित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। यह बैंक की हरित वित्त पहलों में नियमितता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, बैंक भारत सरकार के आधिकारिक 'ग्रीन टैक्सोनॉमी' के प्रकाशित होने पर उसे अपनाने को तत्पर है।

स्वच्छ ऊर्जा

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में पवन और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं उल्लेखनीय रूप से कारगर हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सहयोग के जरिए बैंक इस दोहरे उद्देश्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहा है और एक ऐसे संपोषी कल के निर्माण में सहयोग दे रहा है जहां स्वच्छ ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सुलभ हो।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम: पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण

पवन ऊर्जा परियोजनाएं न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में, बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव के लिए भी जरूरी हैं। पवन ऊर्जा संपोषी विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए सुदृढ़ और संपोषी कल के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

बैंक ने 198 मेगावाट की क्षमता वाली एक ग्रीनफील्ड पवन ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण किया है। इस परियोजना से मिलने वाली विद्युत की आपूर्ति देश की एक टॉप रेटेड राज्य डिस्कॉम को की जाएगी। इससे बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर इस डिस्कॉम की निर्भरता कम होगी। ऐसी परियोजनाएं बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45 प्रतिशत तक घटाने के भारत के लक्ष्य में योगदान दे रही हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहयोग

परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा का एक अहम स्रोत है। क्योंकि परमाणु ऊर्जा में कार्बन उत्सर्जन या दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन न के बराबर होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वायु प्रदूषण नहीं होता है, जो मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों को जलाने से होता है। दूसरे कई अक्षय ऊर्जा स्रोतों की मौसम पर निर्भरता होने के कारण परमाणु ऊर्जा उनके मुकाबले अधिक भरोसेमंद है। परमाणु ऊर्जा के इन लाभों को देखते हुए यह भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा क्षेत्र के विकास और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है। बैंक ने भारत में एक परमाणु ऊर्जा उत्पादक को उसके पूंजीगत व्यय के लिए वित्त प्रदान कर सहायता की है।

गयाना: 30,000 सौर पीवी आधारित घरेलू ऊर्जा प्रणालियां

गयाना उष्णकटिबंधीय और मुख्य रूप से गर्म जलवायु वाला देश है। यहां की जलवायु में उच्च आर्द्रता है एवं मौसम में नमी और सूखापन है। इस देश के लिए विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता चिंता का विषय रहा है। इस देश को अपने नागरिकों को भरोसेमंद और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में शुरू से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। गयाना में लगभग 218 दूरस्थ समुदाय हैं। इनकी कुल आबादी 98,500 है, जिन्हें ऑफ ग्रिड होने के चलते विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से नहीं होती। यहां के अधिकतर गांव दूर-दराज के इलाकों में हैं। यहां पर सड़क मार्ग से पहुंच पाना मुश्किल है। इन गांवों में नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है।

इसके अलावा, गयाना का ऊर्जा उत्पादन पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। यह ऊर्जा उत्पादन विद्युत संयंत्रों में होता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में फ्यूल ऑयल की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में विद्युत लागत सबसे अधिक है। विद्युत लागत अधिक होने से व्यवसायों के परिचालन निष्पादन प्रभावित होते हैं और मूल्य वर्धित गतिविधियों में देश की स्पर्धात्मकता सीमित होती है। ऑफ-ग्रिड गांवों में ऊर्जा लागत देश की राजधानी जॉर्जटाउन से तीन गुना ज्यादा है।

पिछले कुछ वर्षों से गयाना के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति के समाधान के रूप में गयाना सरकार अक्षय उर्जा को अपना रही है। गयाना सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 'हिंटरलैंड अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम' जैसी पहलें शुरू की हैं, जो राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से नहीं जुड़े हैं।

गयाना के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के अंतर को कम करने की दिशा में गयाना सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बैंक सहयोग प्रदान कर रहा है। बैंक ने गयाना सरकार को ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत गयाना के 10 क्षेत्रों में 30,000 सौर पीवी आधारित घरेलू ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति का वित्तपोषण किया है। इस योगदान से गयाना के दूरस्थों क्षेत्रों में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा समाधान सुगम हुए हैं। कम जनसंख्या वाले इन दूरस्थ क्षेत्रों में सौर पीवी आधारित घरेलू ऊर्जा प्रणालियां विद्युत आपूर्ति का प्रभावी साधन साबित हुई हैं।

भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद, न्यून कार्बन परमाणु ऊर्जा उत्पादन को सहायता

स्वच्छ परिवहन

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 16 प्रतिशत से अधिक उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। इसलिए देशों को अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ परिवहन एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा। स्वच्छ परिवहन से तात्पर्य, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाले और वायु प्रदूषण करने वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम या शून्य उत्सर्जन वाले परिवहन के साधनों से है।

ईवी वैल्यू चेन के स्थानीयकरण के लिए बैटरी विनिर्माण को सहयोग

भारत सरकार ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरियों की गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के प्रयोजन से उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएसीसी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम में कुल ₹450 बिलियन का निवेश किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक परिवहन और बैटरी स्टोरेज के इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है।

बैंक देश में एसीसी बैटरी के विनिर्माण में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने एक भारतीय दोपहिया विनिर्माता द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एसीसी बैटरियों के विनिर्माण संबंधी 5 गीगावाट घंटे की क्षमता वाली एक ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए वित्त प्रदान किया है। बैंक महत्त्वपूर्ण एसीसी बैटरियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और ईवी वैल्यू चेन संबंधी आयात की निर्भरता कम करने के क्रम में बैटरी विनिर्माण क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए सहयोग कर रहा है। ईवी वैल्यू चेन के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक स्थानीय स्तर पर बैटरी विनिर्माण यह सहायता मददगार साबित होगी।

लिथियम-आयन बैटरी संबंधी नवोन्मेषी पहल

लिथियम-आयन बैटरियां दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की रफ्तार बढ़ा रही हैं। वर्तमान में, भारत इन बैटरियों के आयात के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर है। ईवी मूल्य शृंखला को सुदृढ़ बनाने तथा इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में बैटरी विनिर्माताओं को तेजी से नवाचार और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंक मूल्य शृंखला के बैटरी विनिर्माण के इस अहम और जरूरी खंड में नवाचार और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक अपने उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) के अंतर्गत एक उन्नत बैटरी समाधान प्रदाता को उसके बैटरी विनिर्माण के लिए विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने के लिए सहयोग कर रहा है। यह भारत में वाणिज्यिक-श्रेणी की लिथियम-आयन बैटरी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी है। बैंक ने इस कंपनी को 50 मेगावाट क्षमता की लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड (एलटीओ) बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तपोषण किया है।

ईवी मूल्य शृंखला में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने के क्रम में एसीसी बैटरियों संबंधित 5 गीगावाट घंटे की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड परियोजना का वित्तपोषण किया

एलटीओ बैटरियों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के विभिन्न साधनों में किया जाता है। एलटीओ बैटरियां अपनी अंतर्निहित थर्मल और रासायनिक स्थिरता के कारण सुरक्षित होती हैं। पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में यह आग या विस्फोट के जोखिम को कम करती है। इसके अलावा, इन बैटरियों को इनकी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग क्षमताओं और अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा चलने के लिए जाना जाता है। पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में इन्हें अधिक बार चार्ज किया जा सकता है। इस तरह, किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन में ये बैटरियां अधिक चलती हैं। बैंक से सहयोग प्राप्त यह कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि इसकी एलटीओ बैटरी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सुरक्षा और निष्पादन संबंधी मानकों का सख़्ती से पालन करती है।

बैटरी विनिर्माण क्षेत्र में एक उन्नत बैटरी समाधान प्रदाता को सहयोग के जरिए क्षमता निर्माण

एक ईवी ऑटो-पुर्जा विनिर्माता के विविधीकरण के लिए सहयोग

इलेक्ट्रिक वाहन ऑटो-पुर्जा उद्योग के विविधीकरण में सहयोग

इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन, दक्षता और सुरक्षा इनमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए ईवी ऑटो-पुर्जा उद्योग बेहद महत्त्वपूर्ण है। लगातार विकसित होती इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता और दक्षता में भी सुधार आ रहा है और ये अधिक किफायती हो रहे हैं।

बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उच्च परिशुद्धता (प्रिसिशन) रिंग गियरों के उत्पादन के लिए एक 'अत्याधुनिक' विनिर्माण इकाई की स्थापना संबंधी परियोजना का वित्तपोषण किया है। यह उत्पादन वैश्विक ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, हाइड्रोलिक्स और विशेष एप्लीकेशन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक उच्च परिशुद्धता वाले विनिर्माता द्वारा किया जा रहा है। बैंक के सहयोग से इस कंपनी को रणनीतिक रूप से वाहनों, विशेषतः इवी के डिजाइन किए गए पुर्जों के विनिर्माण पर फोकस करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला में अवसरों को भुनाने और अपने परिचालनों में परिवर्तन के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से तात्पर्य, पर्यावरण में प्रदूषक तत्त्वों के उत्सर्जन को कम या समाप्त करते हुए मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और इस दिशा में किए जाने वाले उपायों से हैं। बैंक अपने विभिन्न उत्पादों के जरिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, अपशिष्ट को रिसाइकल करने या प्रदूषकों के शोधन के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां विकसित करने वाली कंपनियों को सहयोग प्रदान कर रहा है।

पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में कमी

वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए वैश्विक खतरा है। यह मृत्यु दर का चौथा सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष 3 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। वायु प्रदूषण अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी सांस की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रोक सहित हृदय रोग जैसी बीमारियां भी इसके कारण होती हैं और समय से पहले शिशु के जन्म की आशंका 18 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे खतरनाक प्रदूषकों (पीएम 2.5 पीएम 10) के उत्सर्जन को कम करने की योजना बनाई है। बैंक पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्षित प्रौद्योगिकियों वाली कंपनियों को सहयोग कर रहा है।

बैंक ने उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस बनाने वाली एक कंपनी को सहयोग प्रदान किया है, जो डीजल जेनरेटर से उत्सर्जित होने वाले 80 प्रतिशत से अधिक पार्टिकुलेट मैटर को कम कर सकती है। यह डिवाइस विनिर्माता कंपनी केवल उन दो भारतीय कंपनियों में से एक है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परीक्षित और प्रमाणित है। कंपनी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, अमेरिकन सोसायटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और कई अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे सम्मानित भी किया गया है। कंपनी को प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग द्वारा 'चैंपियंस ऑफ चेंज' पहल के अंतर्गत भारत के शीर्ष 200 कॉर्पोरेशनों में से एक माना गया है।

डीजल जनरेटरों के लिए उच्च दक्षता उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस बनाने हेतु क्लीन-टेक के लिए सहायता

संसाधनों का संरक्षण और बैटरी रीसाइक्लिंग के जरिए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना

भारत में लिथियम-आयन बैटरी का कुल स्टॉक लगभग 22 जीडब्ल्यूएच है। स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण पर फोकस बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में बैटरी की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। बैटरी के उपयोग के आधार पर, वे आम तौर पर 5-15 साल तक चलती हैं। इसके बाद भी इनमें इतनी क्षमता होती है कि 60 प्रतिशत और चल सकें, क्योंकि पूरी तरह इस्तेमाल होने के बावजूद इनमें महत्त्वपूर्ण बैटरी सामग्री होती है। किन्तु इन बैटरियों से लैंडफिल भर रहे हैं, जो मानव स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लीक हुए रसायनों को साफ करना जटिल है और इसकी लगात भी ज्यादा है। चूंकि बैटरी के पूरे इस्तेमाल के बाद भी उसकी क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक होती है इसलिए कच्चे माल के रूप में बड़े पैमाने पर अपव्यय होता है, जिसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा, बैटरी रीसाइक्लिंग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन तथा ऊर्जा भंडारण उद्योगों के संपोषी विकास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई बैटरियों से जरूरी सामग्रियों को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें इकट्ठा करके उत्पादन चक्र में इस्तेमाल किया जाता है। रीसाइक्लिंग बैटरी विनिर्माण और निपटान के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मददगार है। इससे महत्त्वपूर्ण बैटरी सामग्रियों के लिए एक चक्रीय लूप भी बनता है, जिससे संसाधन दक्षता सुनिश्चित होती है।

बैंक बैटरी के इस महत्त्वपूर्ण खंड को सहयोग देने के लिए लिथियम-आयन सेल रीसाइक्लिंग से जुड़ी एक कंपनी को सहयोग प्रदान कर रहा है। बैंक ने इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से कंपनी को सहयोग प्रदान किया है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स (लैपटॉप, मोबाइल आदि) इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उपकरणों की खराब हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियां जुटाती है और उन्हें रिसायकल करती है। यह कंपनी अपनी शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, इन्हें 1 प्रतिशत से भी कम अशुद्धियों वाली हाई-ग्रेड ब्लैक मास बैटरियों के रूप में रिसायकल कर रही है। ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट आदि जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। कंपनी ने अपने अनुसंधान एवं विकास के जरिए ब्लैक मास से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज

ईवी इकोसिस्टम में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन सेल रीसाइक्लिंग से जुड़ी कंपनी को सहयोग

जैसे जरूरी धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की है। ब्लैक मास के प्रसंस्करण की पायलट परियोजना भी बनाई गई है।

सस्टैनेबिलिटी के लिए पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल बर्तन

बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल से तेल आधारित पॉलिमर के निपटान से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव कम होते हैं और सस्टैनेबिलिटी में भी इनका योगदान हो सकता है। बैंक ने बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से संबंधित पर्यावरणीय स्थिरता और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में काम कर रहे एक सामाजिक उद्यम को सहयोग प्रदान किया है। यह कंपनी सुपारी के पेड़ से टूटकर गिरे छाल से उच्च गुणवत्ता वाले और पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोजेबल बर्तन बनाती है। यह सामुदायिक स्वामित्व वाले सूक्ष्म क्लस्टर मॉडल पर काम करती है। इस कंपनी द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग स्टायरोफ़ोम/ प्लास्टिक से तैयार प्रदूषणकारी और कार्बन गहन प्लेटों के स्थान पर किया जा रहा है। कंपनी की गतिविधियों से CO_2 उत्सर्जन में 1000 एमटी की कमी आ रही है।

कंपनी द्वारा अपनाए गए इस मॉडल ने पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी महिलाओं और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान किए हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक आय में बढ़ोतरी हुई है। इस कंपनी ने 3000 महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन किया है। इससे पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सतत आजीविका का विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

सामुदायिक सशक्तीकरण और सस्टैनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण अनुकूल डिस्पोजेबल बर्तनों के विनिर्माण से जुड़े सामाजिक उद्यम को सहयोग

संपोषी जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन

पानी की उपलब्धता और स्वच्छता सुविधाएं मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण की मूलभूत जरूरतों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में दुनियाभर में दो बिलियन लोगों को पेयजल तक नहीं मिल पा रहा था। इनमें भी 1.2 बिलियन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही थी। जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता और मांग में उतार-चढ़ाव होता है। इससे जल सुरक्षा की चुनौती और बढ़ जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में विशेषतः विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से औद्योगीकरण बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, यहां दूषित जल की मात्रा भी काफी बढ़ गई है। हानिकारक रसायनों के इस बढ़ते उत्पादन को रोकने के लिए कारगर उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा, दुनिया भर में घरेलू कामकाज के लिए पानी की बढ़ती मांग और खारे पानी के इस्तेमाल से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ये देशों में खारे पानी को मीठा करने की प्रणालियों की मांग को बढ़ा रही हैं।

अपशिष्ट जल प्रबंधन

उद्योग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर उपयोग किया जा सकता है। इसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संसाधित किया जा सकता है और यहां तक कि पीने और घरेलू कामकाज के लिए भी पुन: उपयोग में लाया जा सकता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन करने से दुर्लभ मीठे पानी के संसाधनों का उपयोग अन्य इस्तेमाल या जलसंरक्षण के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से सस्टैनेबल विकल्प है।

बैंक ने उन्नत मेम्ब्रैन उत्पादों के अग्रणी डेवलपर को सहयोग प्रदान किया है। यह कंपनी पानी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती है। औद्योगिक जल प्रसंस्करण, समुद्र के पानी को मीठा करना, पेयजल का शुद्धीकरण, विद्युत, फार्मासूटिकल्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों को उच्च शुद्धता वाला पानी प्रदान करना, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि के लिए समाधान प्रदान करना इस कंपनी की विशेषता है। यह कंपनी स्वच्छ पानी की उपलब्धता में कमी की चुनौती को प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर

उन्नत मेम्ब्रैन उत्पादों के डेवलपर को सहयोग, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना और जल प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

रही है। ये भारत और विश्व स्तर पर चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा दे रही है। इस कंपनी ने मिस्र में एक पेट्रोरसायन संयंत्र के लिए एक अनुकूल समाधान प्रदान किया है। इसे एफ्लूअन्ट और नील नदी के पानी के लिए एक अनुकूल समाधान की आवश्यकता थी। इसने इटली में एक ऑटोमोटिव पुर्जों का विनिर्माण करने वाली कंपनी को भी अपने संयंत्र में उपयोग के लिए अपशिष्ट जल से 95 प्रतिशत से अधिक तेल निकालने में मदद की है। भारत में भी इस कंपनी ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपशिष्ट जल रिसायकल प्लांट के लिए समाधान प्रदान किया है। इसके अलावा, इसने एक फार्मासूटिकल्स विनिर्माता को उसकी विनिर्माण इकाई के लिए लगातार उच्च गुणवत्ता वाले प्रसंस्कृत पानी प्राप्त करने में भी मदद की है।

ग्रीनफील्ड रेज़िन विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए भारत में एक अग्रणी जलशोधन कंपनी को बैंक द्वारा दिया गया सहयोग इसका एक और उदाहरण है। यह किसी एक स्थान पर पूरी तरह से स्वचालित सबसे बड़ी रेज़िन विनिर्माण इकाइयों में से एक होगी।

भारत में एक अग्रणी जल प्रबंधन कंपनी के क्षमता विकास में सहयोग

बहरीन में एक प्रमुख शहरी विकास परियोजना के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भारतीय कंपनी को सहयोग।

सीवेज ट्रीटमेंट

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों सहित विभिन्न स्रोतों से बने अपशिष्ट जल को उपयोग के योग्य बनाते हैं। अपशिष्ट जल को पर्यावरण में विशेषतः नदियों, झीलों या महासागरों में छोड़ने से पहले इसमें से दूषित पदार्थों और प्रदूषकों को निकाल दिया जाता है।

बैंक ने "नदर्न सिटी" नाम से प्रसिद्ध अल मदीना अल शमालिया, बहरीन में 40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित एक उल्लेखनीय शहरी विकास परियोजना के निष्पादन के लिए एक भारतीय कंपनी को सहायता प्रदान की है। जॉर्डन की सीमा के पास स्थित यह परियोजना, बहरीन सरकार के आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। यह प्लांट इस क्षेत्र में अपशिष्ट जल के प्रबंधन से संबंधित एक उल्लेखनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा।

परिवर्तन वित्त (ट्रांजिशन फायनैंस)

हरित वित्त मुख्य रूप से न्यूनतम प्रदूषण और कम कार्बन उत्सर्जन वाली गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है। तथापि, ऐसे कार्बन-गहन क्षेत्रों को अधिक वित्त की जरूरत है, जिन्हें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और धीरे-धीरे नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना आवश्यक है। परिवर्तन वित्त की अवधारणा इसी आवश्यकता से निकली है। परिवर्तन वित्त से तात्पर्य, कंपनियों को उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रदान किए जाने वाले वित्तीय सहयोग से है। इसमें कंपनी द्वारा कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में हुए पूंजीगत व्यय, ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन संबंधी जरूरतों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है। परिवर्तन वित्त की जरूरत वाले उद्योगों का फलक, हरित वित्त की तुलना में बहुत व्यापक है। इसमें उच्च कार्बन उत्सर्जक उद्योग शामिल हैं। परिवर्तन वित्त के जरिए कंपनियां जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने में निवेश कर सकती हैं।

कम कार्बन उत्सर्जन के लिए कैप्टिव हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा संयंत्र

कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र, फर्मों के लिए उनकी ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ कंपनियों को उनके संपोषी लक्ष्यों को हासिल करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों और हितधारकों में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी कारगर है।

बैंक ने 200 मेगावाट की राउंड-द-क्लॉक (आरटीसी) अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना का वित्तपोषण किया है। इस परियोजना से जलवायु स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण सौर और पवन से संबंधित अनियमित आपूर्ति की चुनौती कम होगी। इस परियोजना में महाराष्ट्र में 350 मेगावाट की तटवर्ती पवन क्षमता और राजस्थान में 260 मेगावाट की सौर क्षमता का विकास करना शामिल है। इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत से देश के सबसे बड़े एकीकृत ज़िंक निर्माताओं में से एक को कंपनी की पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे उसकी न्यून कार्बन उत्सर्जन से संबंधित योजनाओं को भी मदद मिलेगी। यह सहयोग कंपनी को अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार होगा। हरित ऊर्जा खरीद करार के अनुसार, इसकी कीमत कोयले से उत्पन्न विद्युत की तुलना में लगभग आधी होगी, इसलिए यह किफायती है। इस परियोजना के लिए वित्तपोषण लोन सिंडिकेशन के माध्यम से किया गया, जिसके लिए कंपनी और बैंक सहित इसके ऋणदाताओं को 'प्रोजेक्ट फायनैंस इंटरनैशनल (पीएफआई) पुरस्कार' भी मिला है।

एक राउंड-द-क्लॉक अक्षय ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण किया, जिससे भारत के सबसे बड़े एकीकृत जस्ता उत्पादकों में से एक के डीकार्बनाइजेशन योजनाओं में सहायता मिलेगी।

एक हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा परियोजना को सहयोग के जरिए धातुओं के खनन और प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनी की कोयले पर निर्भरता कम करने में सहायता

हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बैंक द्वारा किया गया वित्तपोषण हरित वित्त का एक और उदाहरण है। इस परियोजना से धातु व्यवसाय के खनन और प्रसंस्करण से जुड़ी एक कंपनी को 9.90 मेगावाट पवन और 44.90 मेगावाट सौर विद्युत मिलेगी। इस परियोजना से कंपनी को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और इससे कोयले के उपयोग में भी गिरावट आएगी।

समुद्री परिवहन में सस्टैनेबिलिटी

वैश्विक उत्सर्जन के विभिन्न कारकों में से शिपिंग उद्योग भी एक है। दुनियाभर में हो रहे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के लिए शिपिंग उद्योग भी एक कारक है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के अनुसार, वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में शिपिंग उद्योग का हिस्सा लगभग 2-3 प्रतिशत आंका गया है। इस प्रकार, यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इस उद्योग के पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने के लिए समुद्री परिवहन में सस्टैनेबल पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है, हवा को शुद्ध रखा जा सकता है तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सकता है।

पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए बैंक ने एक भारतीय शिपिंग कंपनी को जहाजों पर नवीनतम तकनीकें अपनाने के लिए वित्त प्रदान किया है। इस कंपनी ने अपने परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी सुधार के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। इनमें आईएमओ विनियमों के अनुपालन के क्रम में मौजूदा जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से बैलेस्ट जल शोधन प्रणाली (बीडब्ल्यूटीएस) लगाना शामिल है। बीडब्ल्यूटीएस इन्स्टॉलेशन के माध्यम से कंपनी ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कृत्रिम हानिकारक जलीय जीवों और कीटाणुओं के होने वाले स्थानांतरण को जहाज के बैलेस्ट जल प्रणाली के जरिए कम किया है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी के सुधार में सहायता मिलती है।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त में कम कार्बन, जलवायु-अनुकूल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए निर्धारित वित्तीय मैकेनिज्म, निवेश और प्रोत्साहनों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जलवायु वित्त, वित्तीय प्रवाहों को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने और संपोषी विकास लक्ष्य हासिल करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है।

बैंक नाइजीरिया के बाजारों में आसानी से उपलब्ध न होने वाले कम कार्बन नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन से संबंधित एक परियोजना का सह-वित्तपोषण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस परियोजना से प्राकृतिक गैस का सृजनात्मक उपयोग बढ़ेगा और नाइजर डेल्टा में अब भी हो रही अपस्ट्रीम गैस फ्लेयरिंग कम कर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। एकीकृत अमोनिया यूरिया प्रक्रिया उत्पादन योजना, सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और प्रसंस्करण में सुधार संबंधी अतिरिक्त उपायों तथा ऊर्जा आपूर्ति दक्षता से उल्लेखनीय रूप से कम कार्बन वाले यूरिया का उत्पादन सुगम हो जाएगा। कंपनी को पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी के अनुकूल बनाए रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता, यूरोपीय संघ की उत्सर्जन ट्रेडिंग प्रणाली सहित वैश्विक बेंचमार्क द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। इस परियोजना के हिस्से के रूप में 2026 तक गैस फ्लेयरिंग में कमी और अन्य सुधारों से पेट्रोरसायन कॉम्प्लेक्स उत्सर्जन में 32 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। यह परियोजना विश्व बैंक के नेतृत्व वाली ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन पार्टनरशिप के अंतर्गत 2030 तक नाइजीरिया के गैस फ्लेयरिंग को खत्म करने के दृढ़ निश्चय के अनुरूप है।

इस परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) की जलवायु संबंधी गतिविधियों[1] की परिभाषाओं और मैट्रिक्स के अनुसार जलवायु वित्त के रूप में अर्हता प्राप्त है।

[1] ऐसी गतिविधि जिससे न्यून कार्बन-गहन आपूर्ति श्रृंखला को अपनाते हुए आपूर्ति श्रृंखला (अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम) में ऊर्जा या सामग्री के उपयोग को कम किया जा सकता है।

सामाजिक वित्तपोषण

बैंक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और समाज को ज्यादा सस्टैनेबल तथा समानता से परिपूर्ण बनाने हेतु सामाजिक वित्त के जरिए योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक वित्तीय संसाधनों को सामाजिक लाभों वाली गतिविधियों और नवाचारों के लिए इस्तेमाल करते हुए गरीबी उन्मूलन, सामाजिक असमानता को कम करने जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों में योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक वित्त, व्यवसायों को भी वित्तीय रिटर्न हासिल करने के साथ-साथ सार्थक सामाजिक प्रभाव लाने वाले सामाजिक उपयोगिता से जुड़े प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

दृष्टि एवं नेत्र स्वास्थ्य के लिए किफायती और सुगम समाधान बनाने वाली चिकित्सा-प्रौद्योगिकी कंपनी को सहायता

निवारक नेत्रहीनता के लिए अभिनव समाधान

दुनिया भर में निवारक नेत्रहीनता लाखों लोगों के लिए चुनौती है। कई विकासशील देशों में मरीजों के इलाज के लिए नेत्र विशेषज्ञों के असमान अनुपात के कारण यह समस्या और बढ़ती जा रही है। अगर केवल भारत की ही बात की जाए तो निवारक नेत्रहीनता के कारण हर साल उत्पादकता में 27 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों का जीवन और आजीविका भी प्रभावित होती है।

बैंक निवारक नेत्रहीनता के उन्मूलन के लिए प्रयासरत एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी को सहयोग कर रहा है। यह कंपनी अत्यधिक उन्नत टेलीमेडिसिन आधारित चिकित्सा उपकरणों का विकास और विनिर्माण कर आंखों से जुड़े स्वास्थ्य के लिए किफायती और सुलभ समाधान प्रदान कर रही है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (आरओपी) का पता लगाना और निदान करना कंपनी द्वारा विकसित समाधानों में से एक है। यह आंख की ऐसी बीमारी है, जो समय से पहले जन्म लेने वाले शिशु को हो सकती है। इस बीमारी का समय रहते पता न चलने पर और सही समय पर इलाज न मिलने पर यह गंभीर बीमारी/ नेत्रहीनता में बदल सकती है। कंपनी द्वारा विकसित किफायती उपकरण के इस्तेमाल से विशेषज्ञों को इस बीमारी की जांच और उपचार करने में मदद मिलेगी। चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में यह कंपनी आत्मनिर्भर भारत के सफलता की कहानी गढ़ रही है।

बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील सहभागी देशों में सामाजिक परियोजनाओं को भी सहयोग कर रहा है। ये विकास परियोजनाएं इन देशों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने में सहायक रही हैं। साथ ही, गरीबी और कुपोषण को कम कर रही हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम कर रही हैं।

लाओ पीडीआर में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे इलेक्ट्रिक पंप

लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर) की अर्थव्यवस्था में कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। तथापि, इस देश में खेती मुख्य रूप से निर्वाह के लिए की जाती है। यहां के छोटे किसान अपने और स्थानीय बाजारों के लिए चावल, मक्का, कसावा और अन्य प्रमुख फसलों की खेती करते हैं। लाओ पीडीआर के कृषि क्षेत्र को भूमि और जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता जैसी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

लाओ पीडीआर को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने सवन्नाखेत और वियनतियाने क्षेत्र में पानी के पंपों को इलेक्ट्रिक पंप सेट में बदलने और इलेक्ट्रिक पंपों के उन्नयन के लिए सहयोग किया है। इस परियोजना से सिंचाई की क्षमता लगभग 24000 हेक्टेयर हो गई। लाओ पीडीआर के ज़ायाबौरी, वियनतियाने और सवन्नाखेत क्षेत्रों में खेती के लिए निर्बाधित और समय पर जल आपूर्ति की गारंटी देने वाले डीजल से चलने वाले पंपों का स्थान इलेक्ट्रिक पंपों ने ले लिया है। यह खाद्य उत्पादकता को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है और स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। इलेक्ट्रिक पंपों के इस्तेमाल से लागत बचत और पर्यावरणीय लाभ हो रहा है तथा महंगे और प्रदूषणकारी डीजल पर निर्भरता भी कम हो गई है।

लाओ पीडीआर में डीजल पंपों के स्थान पर इलेक्ट्रिक पंप लगाने के लिए सहायता, जिससे किसानों की लागत कम हुई और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला

तंज़ानिया: जल आपूर्ति योजना का पुनरुद्धार और सुधार

स्वच्छ और सुरक्षित पानी की उपलब्धता तंज़ानिया में एक गंभीर समस्या है। यहां के कई समुदायों को जल आपूर्ति, साफ-सफाई और स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तंज़ानिया में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता एक समान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में नल जल प्रणाली और अन्य स्वच्छ जल स्रोतों की सुविधा है, परंतु ग्रामीण समुदाय असुरक्षित खुले कुएं या असुरक्षित और अविश्वसनीय जल आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। कई समुदायों के पास सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी होने के कारण दस्त, हैजा और मोतीझरा (टाइफाइड) जैसी जलजनित बीमारियां होती हैं। जलजनित बीमारियों को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार आवश्यक है।

बैंक ने तंज़ानिया सरकार को प्रदान की गई ऋण व्यवस्था के अंतर्गत जांज़ीबार में जल आपूर्ति योजना के पुनरुद्धार और सुधार से संबंधित परियोजना का वित्तपोषण किया है। इस परियोजना के माध्यम से 2036 तक 640,000 और 2051 तक 1.02 मिलियन आबादी को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता से सामाजिक-आर्थिक प्रगति होगी और इस क्षेत्र में समुदायों के गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली मिलेगी।

तंज़ानिया: विक्टोरिया झील पाइपलाइन का विस्तार

विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंज़ानिया तक फैली सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह व्हाइट नील नदी बेसिन का एक हिस्सा है। इस झील में 80 प्रतिशत पानी बारिश से और शेष हिस्सा नदियों और हजारों छोटी धाराओं से आता है। बैंक ने विक्टोरिया झील पाइपलाइन परियोजना के विस्तार के लिए वित्तपोषण किया है। इस परियोजना में 280 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन, 1200 किलोमीटर वितरण नेटवर्क और तंज़ानिया में ताबोरा, इगुंगा और नज़ेगा टाउन में स्थित विभिन्न क्षमताओं के 29 जल भंडारण जलाशयों का निर्माण शामिल है। इसके पहले तक इन क्षेत्रों में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत कुएं, नदियां, छोटे बांध आदि थे और इनकी गुणवत्ता का कोई पता नहीं था। इन क्षेत्रों में विक्टोरिया झील पाइपलाइन के विस्तार से विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और यहां रहने वाले लगभग 1.2 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

ज़िम्बाब्वे: डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जल इनटेक सिस्टम का उन्नयन

पानी की कमी ज़िम्बाब्वे के लिए चिंता का विषय है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में, जब बारिश कम होती है। सूखा, अनियमित वर्षा पैटर्न और जलवायु परिवर्तन पानी के कमी का मुख्य कारण हैं। पानी की कमी से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

बैंक ने ज़िम्बाब्वे सरकार को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जल इनटेक सिस्टम के उन्नयन के लिए वित्तपोषण किया है। इस परियोजना से ह्वांग क्षेत्र में लगभग 40,000 लोगों तक स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने वाले ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय जल प्राधिकरण, ह्वांग की अशोधित जल की आपूर्ति सुगम होगी। इस परियोजना से इस क्षेत्र में जल आपूर्ति, सिंचाई और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा।

संपोषी विकास में डिजिटल संचार का सदुपयोग

डिजिटल प्रौद्योगिकियां संपोषी विकास के नए युग की पथप्रदर्शक बन रही हैं। ये अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरकारी परिवर्तन, रोजगार सृजन और सबसे पिछड़े तथा दूरदराज के क्षेत्रों तक के लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने में सहायक हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने वाले अस्पताल, स्कूल, ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अब डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा का सदुपोयग किया जा रहा है। तथापि, दूरदराज के क्षेत्रों तक अक्सर इन सेवाओं की खराब पहुंच का सामना करना पड़ता है और ये क्षेत्र तकनीकी ट्रेंड तथा व्यावसायिक नवाचार से लाभान्वित होने में असमर्थ रह जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में, पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) वाले सैटेलाइट नेटवर्क इस डिजिटल अंतर को कम करने में अहम कारक के रूप में उभर रहे हैं।

अंतरिक्ष के माध्यम से कम समय में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग फसलों की निगरानी, वनों की कटाई और वनीकरण का ट्रैक रखने, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आपदा प्रबंधन में आगामी विश्लेषण हेतु डेटा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आज निजी और विदेशी संगठनों के लिए प्रक्षेपण सुविधाओं सहित विश्वसनीय और किफायती अंतरिक्ष समाधान के प्रदाता के रूप में जाना जाता है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष परिसंपत्तियों/सेवाओं की मांग और आपूर्ति, दोनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विशिष्ट एग्रीगेटर है। यह वाणिज्यिक आधार पर उपग्रह-आधारित ऐप्लिकेशन भी प्रदान करता है। बैंक ने एनएसआईएल द्वारा हासिल किए गए उपग्रह प्रक्षेपण कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूके स्थित वैश्विक संचार उपग्रह प्रदाता को क्रेता ऋण सुविधा प्रदान की है। इससे रियल टाइम संचार और डेटा ट्रांसफर सुगम होगा और किसानों, उद्योगों, सरकारों और सेवा प्रदाताओं को त्वरित और सुविचारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

उपग्रह प्रक्षेपण संबंधी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहयोग के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाने के लिए सहायता

सस्टैनेबिलिटी संबद्ध वित्त (फायनैंस)

सस्टैनेबिलिटी संबद्ध वित्त (एसएलएफ) से तात्पर्य ऐसे वित्तीय उत्पादों और लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) से है, जो पूर्वनिर्धारित सस्टैनेबिलिटी लक्ष्यों या निष्पादन संकेतकों को हासिल करने पर कंपनियों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पारंपरिक वित्तपोषण के विपरीत, सस्टैनेबिलिटी से जुड़ा वित्त विशिष्ट संपोषी परियोजनाओं से संबद्ध नहीं होता है, बल्कि उधारकर्ता इकाई के समग्र सस्टैनेबल निष्पादन पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए, ऋणों में पर्यावरणीय लक्ष्य निर्धारित करने से कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एसएलएफ के अंतर्गत प्रायः ब्याज दर का एक हिस्सा उधारकर्ता की सस्टैनेबिलिटी लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता से जुड़ा होता है।

बैंक ने एक विद्युत उत्पादन समाधान प्रदाता को सस्टैनेबिलिटी संबद्ध वित्त प्रदान किया है। यह कंपनी यूके और आयरलैंड में कम्बाइंड हीट एंड पावर (सीएचपी), गैस इंजन और बैटरी भंडारण समाधान के लिए अग्रणी आपूर्तिकर्ता, इंस्टॉलर और रखरखाव प्रदाताओं में से एक है। यह कंपनी नियमित और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करते हुए ग्राहकों की ऊर्जा लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले कंटेनरीकृत समाधान प्रदान करती है। बैंक ने अपनी मंजूरी शर्तें उल्लिखित कर कंपनी द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 7500 टन घटाने का सस्टैनेबल वित्त लक्ष्य निर्धारित किया है। अतः बैंक ऐसी कंपनियों की ऋण संरचनाओं में कार्बन उत्सर्जन को घटाने और सामाजिक लक्ष्य निर्धारित कर उन कंपनियों को संपोषी विकास दिशा में ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण/ ग्रिड से अक्षय ऊर्जा के एकीकरण एक भारतीय कंपनी की यूके स्थित सहायक कंपनी को ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण/ अक्षय ऊर्जा के ग्रिड से एकीकरण को सुगम बनाने वाली परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सहायता

समावेशी वृद्धि और

सामाजिक-आर्थिक विकास

समावेशी वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास

भारत के आर्थिक आउटपुट, निर्यात और रोजगार में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों की उल्लेखनीय भूमिका है। बैंक ने हाल के वर्षों में इन उद्यमों की मौजूदा निर्यात क्षमता को बढ़ाने और समावेशी विकास में योगदान को ध्यान में रखते हुए कई पहलें शुरू की हैं। बैंक के बहुस्तरीय सहयोग में वित्तीय सहायता, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहायता, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास और कॉमन सुविधा का निर्माण शामिल है। इन सहयोगों से ग्रासरूट स्तर की पहलों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पहलों से गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने, जीवन स्तर में सुधार लाने और महिला सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता

भारत सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का योगदान 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहेगा। उम्मीद है कि इसमें लगभग 60 प्रतिशत योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का होगा। यह भारत की निर्यात वृद्धि में इन उद्यमों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। इसलिए निर्यात अवसरों को प्रभावी तरीके से भुनाने के क्रम में इन उद्यमों के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि उनके पास जरूरी संसाधन हों और उन अवसरों की उन्हें जानकारी हो।

हाल के वर्षों में, बैंक ने इन उद्यमों के लिए वित्तीय अंतर को कम करने के क्रम में कई नई पहलें की हैं। इन पहलों से इन उद्यमों में निर्यात क्षमताएं विकसित करने, व्यापार वित्त अंतर को कम करने और एमएसएमई को सोचे समझे निर्यात निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी पहुंचाने में मदद मिली है।

नवोद्यम (स्टार्टअप) और एमएसएमई भारत में नवाचार और उद्यमिता के आधार के रूप में उभर रहे हैं। इन व्यवसायों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नए व्यवसाय मॉडलों को क्रियान्वित करने और नवोन्मेषी उत्पाद तथा सेवाएं सृजित करने की क्षमता है। ऐसे व्यवसायों को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2020 में 'उभरते सितारे कार्यक्रम' की घोषणा की थी। बैंक द्वारा संचालित यह कार्यक्रम ऐसे

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक्ज़िम बैंक की सहायता

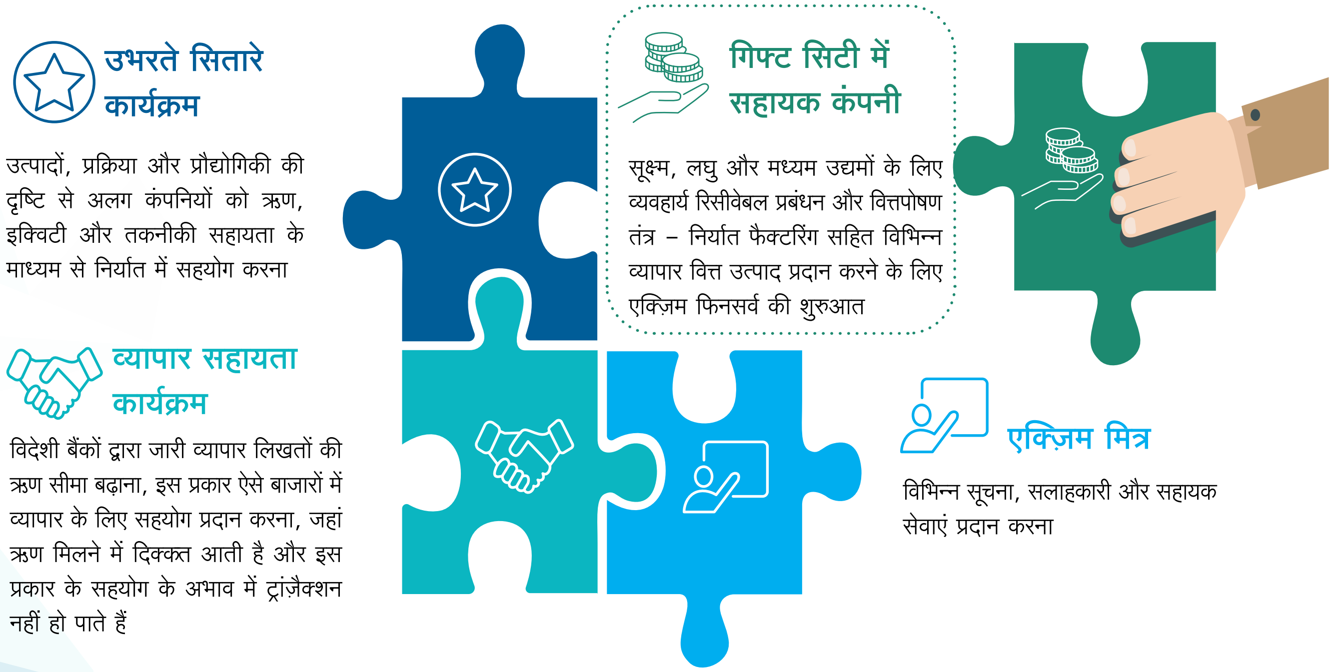

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो उत्पाद, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अलग हैं और जिनमें निर्यात चैंपियन के रूप में उभरने की क्षमता है।

इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि जोखिमों या बाजार अक्षमताओं के कारण वित्तपोषण की कमी से कोई निर्यात अवसर न छूट जाए। कोविड-19 महामारी के बाद बढ़ते व्यापार वित्त अंतर को दूर करने के लिए बैंक ने 2022 में व्यापार सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता व्यापार लिखतों (ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स) की ऋण सीमा बढ़ाने के रूप में होती है और इस प्रकार बैंक वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा, बैंक ने फैक्टरिंग पर फोकस करते हुए निर्यातकों को विभिन्न व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी, इंडिया एक्ज़िम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड (एक्ज़िम फिनसर्व) की स्थापना की है। एक्ज़िम फिनसर्व की शुरुआत के साथ, बैंक अब ओपन अकाउंट ट्रेड के साथ-साथ बैंक-मध्यवर्ती व्यापार वित्त के साथ विभिन्न व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान कर रहा है। इस विस्तारित लक्ष्य के साथ, बैंक भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से लगातार प्रतिस्पर्धी हो रहे और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिवेश का सामना करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है।

वित्तपोषण अंतर को कम करने के अलावा, बैंक निर्यात इकोसिस्टम में जानकारी की कमी को भी दूर कर रहा है। बैंक का व्यापार सुगमता और सूचना पोर्टल, 'एक्ज़िम मित्र', निर्यात बाजार में कदम रखने की इच्छुक भारतीय कंपनियों को व्यापार से संबंधित जानकारी, हैंडहोल्डिंग और सहायता सेवाओं जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए एक प्रभावी संसाधन है।

पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक का सहयोग लगातार बढ़ा है। बैंक ने 2023-24 के दौरान 600 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग किया है। इस सहयोग से इन उद्यमों के विकास को गति देने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के संदर्भ में बहुआयामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यूएसपी और टैप जैसे कार्यक्रमों के तहत इन उद्यमों को आरंभिक सहायता उन्हें अपने परिचालनों को बढ़ाने और खुद को विश्वसनीय निर्यातकों के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। धीरे-धीरे, एमएसएमई का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड उनकी साख को बढ़ाता है, जिससे इन व्यवसायों में बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुलभ हो जाता है। बैंक की सहायता से व्यवसाय में होने वाली वृद्धि के चलते इन उद्यमों की साख में सुधार होता और इस प्रकार बैंक के कार्यक्रमों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को सशक्त बनाना

बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के उत्पादन में लगे ग्रासरूट संगठनों/ दस्तकारों को सहायता प्रदान करता है। ग्रिड कार्यक्रम पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए अधिक से अधिक अवसर सृजित कर समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

इन उद्यमों की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों को बहुस्तरीय सहायता प्रदान की है। इसमें वित्तीय सहायता, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहयोग, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास तथा क्लस्टरों में कॉमन सुविधाएं विकसित करना शामिल है। इस कार्यक्रम के जरिए बैंक निर्यात की संभावना वाली ग्रासरूट पहलों और नवाचारों को विशेष रूप से बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार, बैंक पारंपरिक भारतीय शिल्प के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहयोग कर रहा है। ग्रासरूट उद्यमों के इस सहयोग से गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने, जीवन स्तर में सुधार लाने महिलाओं सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए सहयोग

ग्रासरूट उद्यमों को अक्सर महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्पर्धात्मकता और विकास में बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए बैंक उपकरणों की खरीद, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास और कच्चे माल की खरीद आदि के लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन पहलों से कई ग्रासरूट उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली है। हाल ही में, बैंक भारत सरकार की 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (डीईएच) पहल के अनुरूपजिला स्तर की पहलों को सहयोग कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 3डी डिजाइन के लिए प्रशिक्षण

बैंक ने निर्यात क्षमता सृजन को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत 28 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के 62 जिलों से 67 उत्पादों को चिह्नित किया है। इस पहल के तहत बैंक जिला स्तर पर निर्यात क्षमता सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों की खरीद, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास आदि में सहयोग कर रहा है।

पारंपरिक उद्योगों में आधुनिकीकरण

वर्ष के दौरान, बैंक ने खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को एक अत्याधुनिक 3डी डिजाइन स्टूडियो बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया। खुर्जा का सेरैमिक उद्योग पारंपरिक/ मैनुअल तरीकों और तकनीकों पर अत्यधिक निर्भर है। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण की कमी से वैश्विक बाजार में इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, बैंक ने बुनियादी फोटोग्राफी सेटअप और सौर पैनल इंस्टॉल करते हुए एक 3डी डिजाइन स्टूडियो बनाने में सहयोग किया है। बैंक ने इन सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से कौशल विकास कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। इन पहलों से 300 विनिर्माण इकाइयां एवं सामूहिक रूप से लगभग 15,000 कामगार लाभान्वित होंगे।

जीआई के सदुपयोग के लिए गुणवत्ता सुधार को सहयोग करना

वर्ष के दौरान, बैंक ने सांगली जिला कृषि किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर भी काम किया। बैंक ने कॉमन सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए उपकरणों और आवश्यक मशीनरी के अधिग्रहण तथा रजिस्टर्ड किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता प्रदान की। महाराष्ट्र के सांगली और आसपास के जिलों की हल्दी को 2018 में भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) टैग दिया गया। जीआई विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक कार्य उत्पादों के गुणवत्ता मानकों में सुधार करना है। वर्तमान में, सांगली के किसान अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे सख्त फाइटोसैनिटरी विनियमों का अनुपालन करने वाले यूरोपीय बाजार में उनकी पहुंच प्रभावित होती है। इसके अलावा, किसान हल्दी को उबालने में पारंपरिक तकनीकों को अपना रहे हैं। इससे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आती है। साथ ही, किसान आज भी हल्दी को पारंपरिक प्रक्रिया से ही सुखा रहे हैं। इससे भी उत्पाद की शुद्धता प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया में हल्दी के बारिश, धूल, कीटों और आवारा जानवरों के संपर्क में आने का खतरा भी बना रहता है। पल्वेराइजर और अन्य मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण भी हल्दी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इन चुनौतियों को चिह्नित करते हुए, बैंक कॉमन सुविधा केंद्र (सीएफसी) में करक्यूमिन स्तर की जांच के लिए त्वरित परीक्षण लैब और कीटनाशकों के अवशेष, बॉयलर मशीनरी, हल्दी ड्रायर तथा पल्वेराइजर और अन्य संबंधित उपकरणों के लिए किसानों को सहयोग दे रहा है। बैंक हल्दी किसानों के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों, एकीकृत कीट प्रबंधन और निर्यात अवसरों पर प्रशिक्षण में भी सहयोग दे रहा है।

निर्यात बाजार तक सीधी पहुंच के लिए निर्यातकों को सशक्त बनाना

बैंक पवन संस्कृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को सहयोग दे रहा है। यह कंपनी पुणे से जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, लेबनान और फिलीपींस जैसे देशों को अप्रत्यक्ष रूप से गुलाब का निर्यात कर रही है। बैंक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से सहायता कर रहा है, जो उर्वरक के सही उपयोग और मृदा में पोषक तत्त्वों का सटीक विश्लेषण करेगा। इससे किसानों को गुलाबों की सही कीमत हासिल करने, इनपुट लागत को कम करने और संपोषी कृषि पद्धतियां अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे गुलाब की निर्यात स्पर्धात्मकता में सुधार होगा। इसके अलावा, बैंक जल्दी खराब होने वाले फूलों के सुव्यवस्थित और सुरक्षित परिवहन को सक्षम बनाने और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटेड/कोल्ड वैन के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रत्यक्ष निर्यातक के रूप में स्थापित करने के लिए, बैंक ने नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय पुष्पकृषि व्यापार मेला 2023 में दो किसानों की भागीदारी के लिए भी सहयोग दिया है। इस सहयोग से किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने फूलों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इससे नए खरीदारों के लिए संभावित बिक्री के रास्ते खुलेंगे।

मावल, पुणे में गुलाब उद्योग के लिए रेफ्रिजरेटेड/कोल्ड वैन

कृषि निर्यात को बढ़ावा देना

इसके अलावा, बैंक ने बिहार के लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन को अपना सहयोग जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने प्री-कूलिंग सिस्टम और एक रेफिजरेटेड वैन की खरीद के लिए एक और अनुदान के लिए सहयोग को मंजूरी दी, जो वर्तमान में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। लीची जल्दी खराब होने वाला फल है, किन्तु उचित प्री-कूलिंग सुविधा के साथ इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकेगा और फलों को खराब होने और नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। इससे लीचियों के निर्यात के साथ-साथ उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

बैंक ग्रासरूट उद्यमों को वित्तीय सहायता के अलावा, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उनके क्षमता विकास और मार्केटिंग प्रयासों में भी सहायता करता रहा है। भारत में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों में से एक यह है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक शिल्प सीखने को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पा रही है। पारंपरिक शिल्प के प्रति अरुचि स्थानीय बाजारों से सीमित पारिश्रमिक की संभावना, क्लस्टर स्तर पर सीमित बुनियादी ढांचे और मांग के ट्रेंड की समझ की कमी से आई है। पारंपरिक बुनाई में युवा पीढ़ियों के बीच घटती रुचि को देखते हुए, बैंक की ग्रासरूट पहलों के जरिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं के जरिए भी इस महत्त्वपूर्ण समूह पर फोकस किया गया है।

बैंक ने ग्रिड कार्यक्रम के तहत 139,000 से अधिक दस्तकारों, किसानों और बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण उत्पाद और डिजाइन विकास, कौशल विकास और मार्केटिंग पर केंद्रित रहे हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों में विश्वास और विशेषज्ञता के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिली है। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के दौरान डिजाइन किए गए अभिनव प्रोटोटाइप/ उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापक मांग और स्वीकृति है। मास्टर शिल्पकारों और अर्ध-कुशल और कुशल दस्तकारों को प्रशिक्षण से बाजार की मांग और गुणवत्ता के महत्त्व के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। बाजार में बेचने योग्य उत्पादों के नए डिजाइन और विकास से उनकी आय में भी वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि दस्तकारों की निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं की अवधि के दौरान उन्हें उनके पारिश्रमिक के हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में 40 बंगाल पटचित्र दस्तकारों के लिए 20 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यासागर विश्वविद्यालय द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप दस्तकारों को नए डिजाइन, रंग तकनीकों और उत्पादों पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए चमड़े, सेरैमिक, टेराकोटा और धातु पटचित्र कला में नए समकालीन डिजाइनों के साथ कलाकृतियों के उत्पाद विविधीकरण पर फोकस किया गया। दस्तकारों को अपनी कलाकृतियों के मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अपनी कलाकृतियों को बढ़ावा देने तथा बेचने के लिए मार्केटिंग रणनीतियों के संबंध में भी प्रशिक्षित किया गया।

बंगाल पटचित्र: उत्पाद और डिजाइन विकास कार्यशाला

पश्चिम गोदावरी जिले में फीताकारी दस्तकारों के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

पूर्वोत्तर में सामाजिक-आर्थिक विकास को सहयोग

बैंक का फोकस पूर्वोत्तर भारत पर रहा है। देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने नैसर्गिक सौंदर्य, संस्कृति और विभिन्न समुदायों में सस्टैनेबल जीवनशैली के लिए जाना जाता है। किन्तु, भौगोलिक कठिनाइयों, पर्वतीय भू-भाग, उद्योगों की कमी और कनेक्टिविटी से जुड़ी चुनौतियों के चलते यह क्षेत्र भारत की विकास यात्रा के जटिल पहलुओं में से एक रहा है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे है और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में भी पीछे है। इस क्षेत्र में सीमित औद्योगीकरण और औद्योगिक क्लस्टरों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक अपने ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के ग्रासरूट उद्यमों को सहायता प्रदान करता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने अप्रैल-जून 2023 के दौरान 30 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी के सहयोग से दीमापुर, नागालैंड में 25 बांस दस्तकारों के लिए बांस शिल्प डिजाइन विकास कार्यशाला को सहयोग किया। दस्तकारों को मौजूदा मार्केट ट्रेंड के अनुसार जटिल डिजाइनों के साथ बांस के मग, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, बांस, वॉल हैंगिंग और टिशू पेपर बॉक्स जैसी विभिन्न उपयोगी वस्तुओं में नए उत्पाद विविधीकरण में प्रशिक्षित किया गया, जिससे दस्तकारों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तीकरण

भारत के दस्तकार समुदाय में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी है और यही इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। भारत के शिल्प समुदाय में आधे से अधिक महिलाएं ही हैं। यह श्रम बाजार में महिलाओं की समग्र भागीदारी से अधिक है। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ग्रासरूट स्तर के कई उद्योग ग्रामीण भारत की महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेस आर्टिजन्स फेडरेशन, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी जिले को प्रदान की गई सहायता वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदान की गई सहायता का ऐसा ही एक उदाहरण रहा। यह फेडरेशन 25 ग्राम स्तरीय पारस्परिक सहकारी समितियों का एक संघ है। इसमें पश्चिम गोदावरी जिले की 20,000 से अधिक दस्तकार महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं क्रोशिया फीताकारी के काम से जुड़ी हुई हैं। बैंक ने इस संघ को 6 महीने के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, हैंडहोल्डिंग सह परामर्श कार्यक्रमों तथा मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए जुकी मशीनें चलाने हेतु प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, बैंक ने 20 जुकी मशीनों के वार्षिक रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट में भी सहयोग किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशीनों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना पर अभी काम चालू है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से नए और अभिनव डिजाइन तैयार करने, उत्पादकता के स्तर में सुधार लाने और लागत तथा समय की बचत करने में सहायता मिलेगी, जिससे जिले से लेस उत्पादों की बिक्री और निर्यात में वृद्धि होगी।

महिला सशक्तीकरण की एक और मिसाल है, बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली में 50 जरी-जरदोजी दस्तकारों के लिए डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण पर 20 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना। इन दस्तकारों में अधिकांश महिलाएं ही हैं। जरी-जरदोजी की कढ़ाई पेचीदा किन्तु सुंदर होती है। इसलिए बाजारों में इसकी काफी मांग है। कौशल विकास प्रशिक्षण से दस्तकारों को आधुनिक तकनीकों और डिजाइन ट्रेंड के अनुरूप उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि उनके उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बने रहें।

प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात तत्परता में सुधार

राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर की मेहंदी का रंग पूरी दुनिया में अनूठा है। दुनिया की सबसे बड़ी और एकमात्र मेहंदी मंडी सोजत में ही है। सोजत मेहंदी उद्योग की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए मेहंदी किसान समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है। पाली की सोजत मेहंदी को इसकी अनूठी विशेषताओं के लिए जीआई टैग भी मिला है। सोजत शहर में मेहंदी उद्योग की मौजूदा निर्यात क्षमता का सदुपयोग करने के लिए, बैंक निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण और मेहंदी उत्पादों की पैकेजिंग पर एक कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से विनिर्माताओं और व्यापारियों को निर्यात बाजारों में मौजूद अवसरों को भुनाने में मदद मिलेगी।

मार्केटिंग सहायता

बैंक ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यापक दृश्यता और उनके ब्रांड के प्रचार-प्रसार में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक वर्ष 2017 से अपनी 'एक्ज़िम बाजार' पहल के जरिए दस्तकारों और शिल्पकारों को एक छत के नीचे लाते हुए मार्केटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान कर रहा है। एक्ज़िम बाजार को गत कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता मिली है तथा क्रेता और विक्रेता दोनों ने इसे काफी पसंद किया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों को व्यापक स्तर पर बाजार पहुँच प्रदान करने के लिए मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव के सह प्रायोजक के रूप में सहयोग दिया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बैंक ने एक बार पुनः काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 (केजीएएफ) के साथ प्रायोजक के रूप में जुड़कर काला घोड़ा एसोसिएशन के साथ काम किया।

इस प्रदर्शनी में पारंपरिक और समकालीन कलाओं, शिल्प और टेक्स्टाइल्स शामिल रहे। पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने इस महोत्सव में भाग लिया। इसमें बैंक ने 24 राज्यों के 60 से अधिक दस्तकारों को स्पॉन्सर किया। बैंक ने इस कार्यक्रम के दौरान, बंगाल पटचित्र, ब्लॉक प्रिंटिंग, फड़, गोंड और पिछवाई जैसी पांच कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। इन कार्यशालाओं से कलाकृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली और अंततः इन उत्पादों के मांग में वृद्धि हुई।

बैंक ने काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 के दौरान सभी प्रदर्शकों और अन्य प्रतिभागियों के लिए अमेज़न ग्लोबल सेलिंग में शामिल होने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ई-कॉमर्स आज निर्यात अवसरों का लोकतांत्रीकरण कर रहा है, भारत के निर्यात क्षेत्र में समावेशन को बढ़ावा दे रहा है और बड़ी संख्या में एमएसएमई तथा ग्रासरूट स्तर के उद्यमों की क्षमता को नए आयाम दे रहा है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम से प्रतिभागियों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए ई-कॉमर्स चैनलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक समझ विकसित करने में मदद मिली।

ढोकरा और टेराकोटा दस्तकारों की काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 में भागीदारी के कारण उनके उत्पादों को बॉम्बे स्टोर और सीएसएमवी संग्रहालय में स्मृति चिह्न स्टोर जैसे प्रीमियम स्टोर में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाया है।

केजीएएफ 2024 के दौरान कार्यशाला का आयोजन

काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 के दौरान पारंपरिक और आधुनिक कलाओं, शिल्पों और वस्त्रों की प्रदर्शनी

आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

बैंक ने विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के चुनिंदा (1) डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (बीएएसई) यूनिवर्सिटी, बेंगलोर; (2) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली; (3) कलिंगा इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) यूनिवर्सिटी, ओडिशा; (4) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली; (5) दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई), नई दिल्ली; (6) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम), राजस्थान; (7) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश; (8) मणिपुर यूनिवर्सिटी (एमयू); (9) मिज़ोरम यूनिवर्सिटी (एमज़ेडयू); (10) सिक्किम (मणिपाल) यूनिवर्सिटी (एसएमयू), सिक्किम; (11) तेज़पुर यूनिवर्सिटी (टीयू), असम; (12) नागालैंड यूनिवर्सिटी (एनयू); (13) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), मेघालय; (14) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी (टीआरयू); तथा (15) सिक्किम यूनिवर्सिटी (एसयू) जैसे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है। बैंक द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति से योग्य छात्रों (ज़्यादातर आरक्षित वर्ग से) को अपने शैक्षिक खर्चों को पूरा करने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिली है। वर्ष के दौरान, 56 योग्य छात्रों को कुल ₹17.9 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिनमें से अधिकांश छात्र आरक्षित वर्ग से थे।

समुदाय और सामाजिक कल्याण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में समुदायों, समाज और वातावरण में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सीएसआर भागीदारों के साथ बातचीत की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। बैंक की सीएसआर पहलों के लिए प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, शिक्षा, खेल, कौशल विकास और आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना तथा पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, अपने सीएसआर के अंतर्गत विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹3.27 करोड़ की सहायता प्रदान की है। बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास, जीविकोपार्जन गतिविधियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में सात राज्यों में नौ प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इनमें से कई उपाय भारत के अल्प विकसित जिलों में रहे।

शैक्षिक अवसर तथा आवश्यक पोषण प्रदान करना

बैंक बच्चों को स्कूल जाने के लिए बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र के सीएसआर पहलों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। शिक्षा के संबंध में भोजन कार्यक्रमों के सिद्ध लाभों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की मिड–डे योजना के लिए सहायता प्रदान की है। शिक्षा संबंधी भोजन कार्यक्रमों का लाभ यह है कि स्कूलों में वंचित तबकों के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है और कुपोषण के शिकार बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करते हुए उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन मिड–डे योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की सबसे बड़ी भागीदारी है।

बैंक ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दो सीएनजी वाहनों की खरीद के लिए अक्षय पात्र फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये वाहन वाराणसी में सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिड–डे भोजन के परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, बैंक वर्ष के दौरान वृंदावन में सरकारी और गैर–सरकारी स्कूलों के 200 छात्रों के मिड–डे भोजन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। यह पहल वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने में सहायता करती है और बच्चों के लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है।

मिड–डे मील डिलिवरी वैन के लिए बैंक द्वारा सहायता

माताओं के लिए सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

रेल यात्रियों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक होती है। इनमें शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी होती हैं। रेलवे स्टेशनों पर कोई स्तनपान कक्ष न होने के कारण माताओं को रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर शिशुओं को स्तनपान कराने में काफी समस्या आती है। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बैंक विशाखापट्टनम, शोरानूर, एसएमवीटी बेंगलुरु, पुरी और जगदलपुर के रेलवे स्टेशनों पर शिशु आहार केन्द्रों की स्थापना के लिए इस फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर शिशु आहार केंद्र

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय सहायता

किफायती स्वास्थ्य देखभाल, अच्छे पोषण और स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है। बैंक ने इस क्षेत्र में इंटरवेंशन की आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा उपकरण, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद के लिए श्रद्धा कैंसर केयर ट्रस्ट को सहायता प्रदान की है। ये संसाधन ग्रामीण और कस्बों के समुदायों विशेष रूप से ऋषिकेश और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रस्ट की क्षमता को बढ़ाएंगे। ईवी दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाली चिकित्सा टीमों के आवागमन के लिए महत्त्वपूर्ण है। इससे चिकित्सा टीमों को कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे रोगियों को प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सुविधा होती है। यह ईवी आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हैं। ईवी चिकित्सा पेशेवरों को रोगियों के घर जाकर या बाहर जाकर परामर्श करने में सहायक हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के क्रम में होम विजिट करने के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित ईवी वाहन

स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए बच्चों का विकास

बैंक शिक्षा में खेलों के महत्त्व को समझता है। बच्चों और किशोरों के शैक्षिक और विकासात्मक परिणामों में पारंपरिक इंटरवेंशन में सुधार के लिए खेल प्रभावी माध्यम है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक इस क्षेत्र में कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस) के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सहयोग भुखमरी, गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता से मुक्त दुनिया बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है।

केआईएसएस एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में है। केआईएसएस शिक्षा, खेल और कौशल विकास के जरिए अपने परिसर में 30 हजार से अधिक आदिवासी छात्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक पिछले दो दशकों से खेल के क्षेत्र में केआईएसएस की पहल को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, बैंक साइक्लिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिए केआईएसएस को सहायता प्रदान कर रहा है, जो केआईएसएस के बुनियादी ढांचे के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिकल्पित, इस वेलोड्रोम का उद्देश्य युवा आदिवासी छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

भुवनेश्वर, ओडिशा में साइक्लिंग वेलोड्रोम का निर्माण

विविधता और कर्मचारी कल्याण

विविधता और कर्मचारी कल्याण

बैंक के स्थायी कार्यबल में 44 प्रतिशत, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में लगभग 35 प्रतिशत और बोर्ड में 23 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। बैंक सभी स्तरों और क्षेत्रों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा, बैंक द्वारा दिव्यांगों सहित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों का समावेशन भी सुनिश्चित किया जाता है।

मानव पूंजी

मानव पूंजी बैंक के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान आस्ति है। समान आस्ति आधार वाली अन्य संस्थाओं की तुलना में, बैंक कम कर्मचारियों वाली छोटे स्वरूप वाली संस्था है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 432 है, बैंक में विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें बैंकर, प्रबंधन स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, विधिक, पुस्तकालय व दस्तावेजीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषाविद्, मानव संसाधन, मार्केटिंग और आईटी विशेषज्ञ शामिल हैं।

बैंक में कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	कुल	पुरुष	महिला
स्थायी कर्मचारी	353	198	155
स्थायी कर्मचारियों से इतर	63	29	34
प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी)	16	12	04
प्रबंधन प्रशिक्षुओं सहित कुल कर्मचारी	**432**	**239**	**193**

नोट: बैंक में ऐसे श्रमिक नहीं हैं जो कर्मचारी न हों।

विविधता और समावेशन

बैंक में महिला कर्मचारी

बैंक समान अवसर प्रदान करने वाली संस्था है। बैंक सुनिश्चित करता है कि संस्था में कोई लैंगिक भेदभाव न हो। बैंक की कॉर्पोरेट संस्कृति एक अनुकूल परिवेश प्रदान करती है, जिसमें महिला कर्मचारियों से सम्मान, समानता के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें विकास और सफलता के लिए प्रोत्साहित और सशक्त किया जाता है।

बैंक सभी स्तरों और क्षेत्रों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है और महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकूल और सहज परिवेश प्रदान करता है।

बैंक अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा को अत्यधिक महत्त्व देता है और एक सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करता है। यह अधिनियम बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत किसी को हानि पहुंचाने की भावना को रोकने और पीड़ित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने जैसे उपाय शामिल हैं। बैंक की इस नीति के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी किया गया है। इस पहल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देने की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, बैंक में कोई शिकायत नहीं मिली, इससे पता चलता है कि ये उपाय कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा, संस्था में महिला कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ पुरुष कर्मचारियों के समान दिए जाते हैं और सभी स्तरों पर महिला-पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान किया जाता है।

बैंक, हर वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। यह महिलाओं की उपलब्धियों, तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके आगे बढ़ते जाने और उनके अनूठे दृष्टिकोण तथा अनुभवों पर खुलकर बात करने का उत्सव है।

बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	कुल	महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिनिधित्व, प्रतिशत में
निदेशक मंडल	13	3	23%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	23	8	35%

स्थायी कर्मचारियों का लैंगिक और आयु संबंधी विवरण

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
<30 वर्ष	27	25	52
30-50 वर्ष	145	110	255
>50 वर्ष	26	20	46

आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

बैंक भर्ती प्रक्रिया में भारत सरकार की आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक में कुल कार्यबल में आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 353 रही, जिनमें से 37 अनुसूचित जाति (एससी), 24 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 65 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से शामिल रहे। बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्टाफ सदस्यों को समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, बैंक समान अवसर नीति का पालन करता है, जो समावेशिता और विविधता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीतियों पर सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों सहित कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। बैंक का यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति के समान अवसर मिलें, फिर चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि या शैक्षणिक योग्यता से हों।

यथा 31 मार्च, 2024 को दिव्यांग कर्मचारी

श्रेणी	संख्या	कुल स्थायी अधिकारी	कुल प्रतिशत
पुरुष	5	198	2.5%
महिला	3	155	1.9%
कुल	**8**	**353**	**2.27%**

कर्मचारी लाभ और कल्याण

बैंक अपने कर्मचारियों को कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जिनमें मातृत्व अवकाश सहित स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभ शामिल हैं। बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी नीतियों के अनुरूप महिला और पुरुष दोनों क्रमशः मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। बैंक ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के संशोधनों को भी लागू किया है और बैंक के अधिकारियों के लिए क्रेच सुविधा की उपलब्धता को सुगम बना रहा है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर चोट जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को यथोचित सहयोग प्रदान करता है। इस सहायता में, व्यक्तिगत परिस्थितियों और लागू योजनाओं के आधार पर, ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, उनके परिवारों के लिए बैंक अनुग्रह भुगतान, वित्तीय सहयोग और अनुकंपा नियुक्तियों जैसी सहायता प्रदान करता है।

बैंक के लिए कर्मचारी कल्याण भी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और बैंक अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय में योग और जिम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधां कर्मचारियों के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों में उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। बैंक नियमित व्यायाम और तनावमुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हुए अपने कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास

बैंक, सतत प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है और अपने कर्मचारियों के विकास और कौशल वृद्धि के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रतिबद्धता न केवल कर्मचारियों का प्रदर्शन बढ़ाती है, बल्कि बैंक की समग्र सफलता में भी यह सहायक है। बैंक, अपने कर्मचारियों के निरंतर कौशल उन्नयन को सुगम बनाने के क्रम में सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, अधिकारियों को विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालने के लिए उनके कौशल विकास के उद्देश्य से उन्हें ई–लर्निंग सहित विशिष्ट समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में नामित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के 344 अधिकारियों ने 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इनमें अन्य के साथ–साथ, ऋण विश्लेषण के मूल सिद्धांतों, भारतीय ट्रेज़री बाजार, व्यापार वित्त, विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं के लिए प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं, बॉन्ड गणित, साइबर सुरक्षा, लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन, ऋण सस्टैनेबिलिटी विश्लेषण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण शामिल रहा। अधिकारियों को केवाईसी एएमएल जागरूकता और नेतृत्व विकास में भी प्रशिक्षण दिया गया। बैंक के परिचालनों के संबंध में बढ़ते ईएसजी के महत्त्व और जलवायु जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक ने चुनिंदा अधिकारियों के लिए दो बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से दो विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वित्तीय वर्ष 23-24 प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
कनिष्ठ प्रबंधन	31	43	74
मध्य प्रबंधन	95	71	166
वरिष्ठ प्रबंधन	53	33	86
शीर्ष प्रबंधन	12	6	18
कुल	**191**	**153**	**344**

उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण

और अभिशासन (गवर्नैंस)

उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और अभिशासन (गवर्नेंस)

बैंक संप्रेषण में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है और सभी हितधारकों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है। बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा है। बैंक ने रणनीतिक नियंत्रण की एक व्यवस्था बनाई है और इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा की जाती है। व्यवसाय और वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामलों, और विश्लेषणात्मक डेटा और सूचना को समीक्षा के लिए बोर्ड तथा बोर्ड की प्रबंध समिति को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

गवर्नेंस संरचना

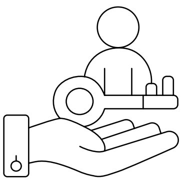

स्वामित्व

100% भारत सरकार का स्वामित्व

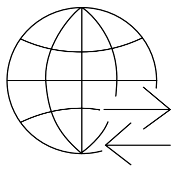

भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम

एक्ज़िम बैंक का मिशन, उद्देश्य, भूमिका और कार्य–प्रणाली भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम में निहित किए गए अनुसार है, जो निदेशक मंडल के गठन और बैंक के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन को भी निर्दिष्ट करता है।

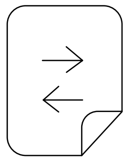

भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली

बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की प्रबंध समिति की शक्तियों से संबंधित दिशानिर्देश, सामान्य प्रावधान आदि भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली में विहित अनुसार हैं।

बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है, जो इसका एकमात्र शेयरधारक है। बैंक का मूल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है, विशेष रूप से वित्तीय सेवाएं विभाग। एक्ज़िम बैंक का मिशन, उद्देश्य, भूमिका और कार्य–प्रणाली भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम में विहित किया गया है, जो निदेशक मंडल के गठन और बैंक के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन को भी निर्दिष्ट करता है। भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम की एक मुद्रित प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी में) बैंक के भारत और विदेशों में स्थित सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम को बैंक की वेबसाइट से भी सरलता से डाउनलोड किया जा सकता है।

निदेशक मंडल

बैंक के परिचालन निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम में बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यथा 31 मार्च, 2024 को बोर्ड में दो पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच निदेशक, विनियामक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक, भारत की निर्यात ऋण बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक और व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक शामिल रहे।

बोर्ड-स्तरीय समितियां

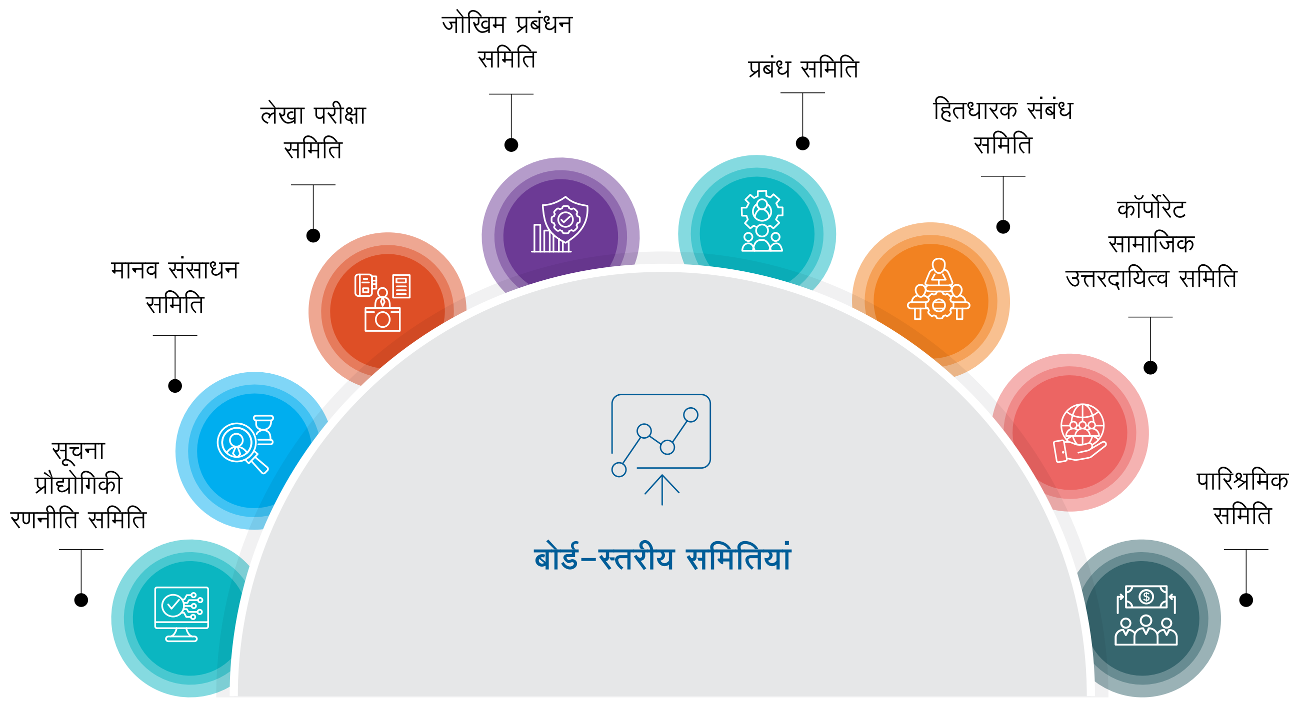

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। लेखा परीक्षा समिति (एसी) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्य देखती है।

प्रबंध समिति

बैंक की प्रबंध समिति (एमसी) में ऋण प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदन/पुष्टि/संस्तुति करती है और संबंधित मामलों की समीक्षा करती है। अपनी शक्तियों के प्रयोग में, प्रबंध समिति बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों से बाध्य है।

हितधारक संबंध समिति

बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार, विशेष रूप से बैंक के ऋण प्रतिभूति धारकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बैंक पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने और तद्नुसार उन पहलों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आईटीएससी के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों और उत्तरदायित्वों में बैंक के आईटी गवर्नेंस एवं सूचना सुरक्षा गवर्नेंस को सुदृढ़ करना, और साइबर सुरक्षा तथा बैंक की डिजिटल पहलों को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

मानव संसाधन समिति

बोर्ड की मानव संसाधन समिति, सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एचआर पद्धतियों पर बैंक का केंद्रित मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में बैंक की एचआर नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस संबंध में बोर्ड को संस्तुति करना शामिल है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति मुख्य रूप से बैंक की सीएसआर पहलों का पर्यवेक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर के अंतर्गत पहलों को शामिल करने, उनकी समीक्षा करने और उनकी संस्तुति करने के लिए बैंक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। यह समिति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करती है।

पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड की उपसमितियों को सीधे रिपोर्ट करने वाले अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और प्रोत्साहनों से संबंधित मामलों का समाधान करती है।

बोर्ड की अन्य समितियों में उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति, उधारकर्ताओं के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण संबंधी समीक्षा समिति, धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति और बैंक पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति शामिल हैं। बैंक की बोर्ड-स्तरीय समितियों के गठन, भूमिका, उत्तरदायित्वों और कार्यकलापों, और बैठकों की फ्रीक्वेंसी से संबंधित विस्तृत जानकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में देखी जा सकती है।

अनुपालन संस्कृति

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति लागू है। मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत सरकार, आरबीआई और अन्य विनियामकों और बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी लागू संविधियों, विनियमों और अन्य प्रक्रियाओं तथा नीतियों के अनुपालन विषयों के साथ-साथ यदि अनुपालन में कोई विचलन होता है तो उसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक पर लागू सेबी के विभिन्न विनियमों का अनुपालन करने के लिए सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंक ने एक मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी नियुक्त किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रसार और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी है।

केवाईसी, एएमएल और सीएफटी उपाय

बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों, धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।'

केवाईसी, एएमएल और सीएफटी नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क)ग्राहक स्वीकार्यता नीति;

(ख)जोखिम प्रबंधन;

(ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया; और

(घ) संव्यवहारों की निगरानी।

बैंक द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस सेवा का उपयोग किया जाता है, जो विश्व के सभी प्रमुख निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय विनियामकों की चेतावनी सूचियों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। बैंक के सभी ग्राहकों को केवाईसी मानकों के अधीन लाया जाता है, जिससे स्वाभाविक/विधिसम्मत व्यक्ति और लाभार्थी स्वामित्व की पहचान में मदद मिलती है।

केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं, मीयादी जमा धारकों, कोरेस्पॉन्डेंट बैंको को चिह्नित करना और नए स्टाफ सदस्यों की भर्ती करना शामिल है। बैंक अपने काउंटरपार्टी बैंकों द्वारा केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पद्धति के अनुरूप वुल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक डेटा प्राप्त करता है। बैंक आरबीआई और सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के संबंध में जानकारियों का रिकॉर्ड रखता है। ये रिकॉर्ड संव्यवहारों की प्रकृति के अनुसार, व्यावसाय संबंध के समाप्त होने के अंत से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के एक अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बैंक के केवाईसी, एएमएल और सीएफटी उपायों के लिए उत्तरदायी हैं। केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति का सारांश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

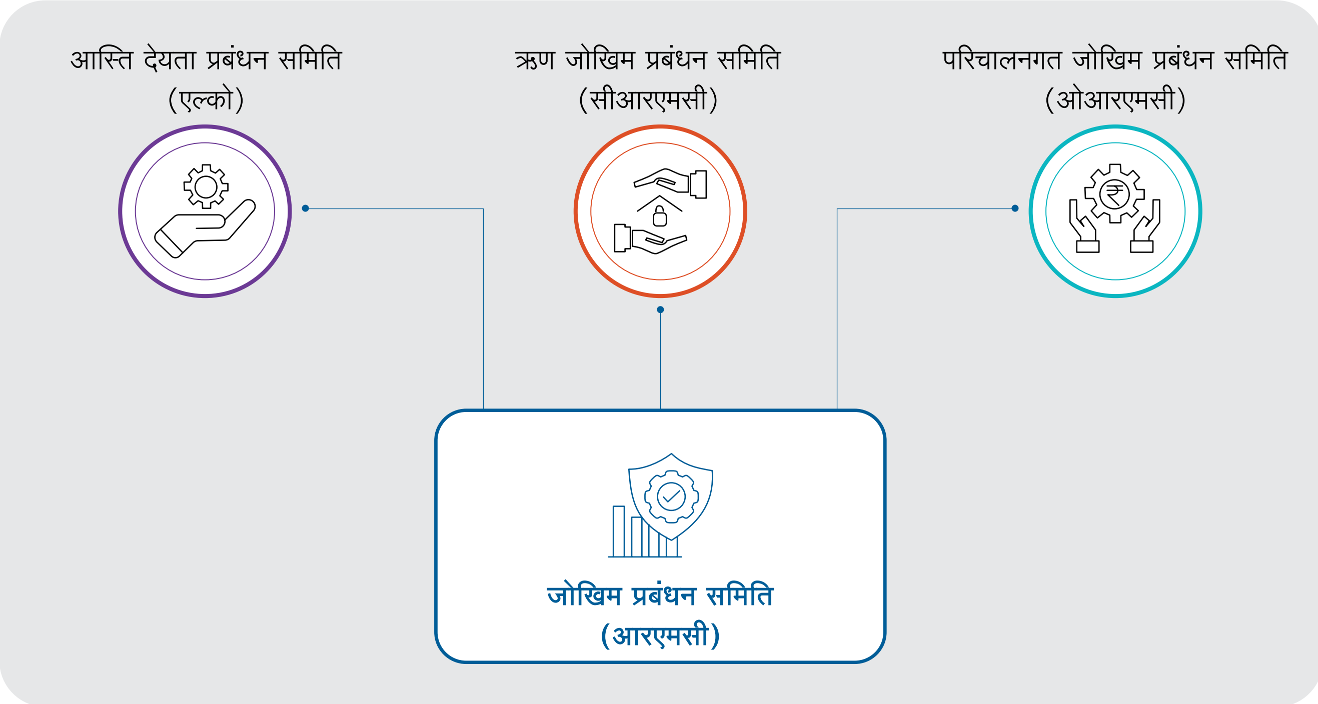

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों (पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी, ब्याज दर, ऑफ-बैलेंस शीट और परिचालन जोखिम) के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करती है। आरएमसी द्वारा एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाती है और उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही, बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, औद्योगिक क्षेत्रगत, सस्टैनेबिलिटी (विशेष रूप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों या अन्य जोखिमों को चिह्नित करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करती है। इसके अलावा, आरएमसी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों की निगरानी करती है, जिनमें से सभी में क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। जोखिम प्रबंधन समूह का नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी करते हैं, जो बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करते हैं।

एल्को जहां आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (लिक्विडिटी, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, वहीं सीआरएमसी बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों के विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी कार्य करती है।

बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (गुणात्मक और मात्रात्मक पैरामीटरों को शामिल करते हुए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है। यह मॉडल किसी उधारकर्ता के उद्यम स्तर पर तथा इकाई स्तर पर जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है। प्रस्तावों के लिए ऋण अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की स्वतंत्र रूप से समीक्षा के लिए अलग रेटिंग समिति है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिमों की समीक्षा करती है और पुनः ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित या उत्पन्न परिचालनगत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और मापने, निगरानी करने और नियंत्रण/ जोखिमों को कम करने का काम करती है।

बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की आपदा बहाली योजनाओं की वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भलीभांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

जोखिम वहन क्षमता नीति

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अंगीकृत किया है। जोखिम वहन क्षमता के विवरण के भाग के रूप में प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन संबंधी जोखिम शामिल हैं। इन जोखिम आयामों के तहत, प्रत्येक पैरामीटर के लिए निर्धारित टॉलरेंस सीमा सहित जोखिम वहन पैरामीटर होते हैं, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति को छमाही आधार पर यह समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क

बैंक ने अपनी गवरनैंस संरचना में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति को अंगीकृत कर ईएसजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। बैंक का लक्ष्य ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरणों को निरंतर बढ़ाते रहना है। बैंक में एक अलग ईएसजी समूह है।

संपोषी विकास / उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण संबंधी नीति

बैंक का मानना है कि संपोषी विकास एक संस्थागत प्रतिबद्धता है और यह सुविचारित कॉर्पोरेट नागरिकता और श्रेष्ठ व्यवसाय पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, दोनों का अभिन्न हिस्सा है। इसे साकार करने के लिए, सस्टैनेबिलिटी को संस्था की तमाम नीतियों, प्रक्रियाओं और परिचालनों से एकीकृत करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, सस्टैनेबिलिटी कॉर्पोरेट पहचान और संस्कृति का केन्द्र है।

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्त का संबंध सुशासन, पूंजी संरक्षण और इसकी गुणवत्ता पर जोर, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सक्रिय सामाजिक और पर्यावरणीय उपायों से है। उत्तरदायित्वपूर्ण वित्त के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस (ईएसजी) जोखिम प्रबंधन को किसी वित्तीय संस्था की व्यावसायिक रणनीति और निर्णयन प्रक्रियाओं में एकीकृत करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'संपोषी विकास और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के लिए बैंक की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस नीति' (ईएसजी नीति) को अंगीकृत किया है। इस नीति का उद्देश्य ईएसजी जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के जरिए बैंक के वित्तपोषण संबंधी निर्णयों की तार्किकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, भारतीय कंपनियों की ईएसजी स्पर्धात्मकता को बढ़ाना, सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सुविचारित तरीके से सुदृढ़ करने के अलावा, ईएसजी नीति को बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया से एकीकृत किया गया है और उसमें ईएसजी जोखिम मूल्यांकन को जोड़ा गया है। इस नीति में एक 'एक्सक्लूज़न लिस्ट' का भी प्रावधान है और ऐसे किसी भी ऋण प्रस्ताव को बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है जो इस सूची में प्रतिबंधित गतिविधियों के अंतर्गत आता हो। बैंक की ईएसजी और सस्टैनेबिलिटी पहलों को बढ़ावा देने के लिए, ईएसजी मेट्रिक्स और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण को बैंक के एक 'प्रमुख निष्पादन संकेतक' केपीआई के रूप में शामिल किया गया है।

बैंक संपोषी विकास और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के प्रयोजन को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तत्पर रहता है। बैंक अपने जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्त को सुदृढ़ करने और पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सुविचारित वित्तपोषण की दिशा में अग्रसर है। बैंक ने भारतीय बैंक संघ की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस संबंधी स्थायी समिति में एक सदस्य को भी नामित किया है, और यह इस क्षेत्र में अन्य बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

ईएसजी ढांचा (फ्रेमवर्क)

बैंक ने दिसंबर, 2021 में ईएसजी फ्रेमवर्क विकसित किया था, जिसके तहत बैंक संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी करता है और इनकी प्राप्य राशियों का इस्तेमाल, संपोषी अर्थव्यवस्था में अंतरण को सुगम बनाने वाली और विकासशील देशों में सामाजिक लाभ प्रदान करने वाली मौजूदा या भावी परियोजनाओं के आंशिक या पूर्ण वित्त या पुनर्वित्त के लिए करता है। ईएसजी फ्रेमवर्क छह हरित पात्र (हरित श्रेणियां अक्षय ऊर्जा, सतत अपशिष्ट और जल प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, ऊर्जा दक्षता) और चार सामाजिक क्षेत्रों (आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली, एमएसएमई वित्तपोषण, किफायती आवास) में पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है। इस फ्रेमवर्क की समीक्षा सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता सस्टैनेलिटिक्स द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि फ्रेमवर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021, ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है तथा अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) और हरित ऋण सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021, द्वारा प्रशासित है। साथ ही, लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए) और लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा प्रशासित है। एसपीओ ने यह भी उल्लेख किया है कि बैंक, परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की अच्छी स्थिति में है।

संपोषी वित्त समिति

संपोषी वित्त समिति (एसएफसी) में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), संपोषी वित्त समूह के प्रमुख और बैंक के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। एसएफसी, बैंक की ईएसजी नीति के कार्यान्वयन, ऋण प्रस्तावों की ईएसजी रेटिंग को मंजूरी देने और बैंक के ईएसजी ढांचे के तहत संपोषी वित्तपोषण ट्रांजैक्शनों के रूप में पात्र परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के लिए उत्तरदायी है।

ईएसजी जोखिम मूल्यांकन

बैंक ने अंतर्निहित ईएसजी जोखिमों को चिह्नित करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस फ्रेमवर्क को समग्र ऋण जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया है। बैंक ने ऋण प्रस्तावों में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस संबंधी जोखिमों को चिह्नित करने और उनका आकलन करने के लिए इक्वेटर सिद्धांतों, स्थानीय विनियमों और सर्वोत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर आंतरिक मॉडल विकसित किए हैं। ईएसजी जोखिमों का आकलन करने के लिए बिना किसी सीमा के सभी ऋण प्रस्तावों की जांच की जाती है और उन्हें उच्च, मध्यम तथा न्यून जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक जलवायु परिवर्तन से होने वाली अनिश्चितताओं और आर्थिक वित्तीय प्रणालियों पर इसके प्रभाव को संज्ञान में लेता है। इन मॉडलों में पर्यावरणीय मापदंडों में जलवायु जोखिम संबंधी कारकों को भी शामिल किया गया है। बैंक ने सभी ऋण प्रस्तावों के लिए ईएसजी स्कोर और जोखिम वर्गीकरण को अनुमोदन देने के लिए एक समिति-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

इन मॉडलों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र, समुदायों और जलवायु पर संभावित नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए पहला आवश्यक कदम है।

यदि ये प्रभाव अपरिहार्य हैं, तो इन्हें न्यूनतम और कम किया जाना चाहिए और जहां अवशिष्ट प्रभाव रहता है, वहां उधारकर्ताओं को पर्यावरणीय प्रभाव को समायोजित करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। एसएफसी इन जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर सकती है।

ईएसजी केंद्रित अन्य नीतियां और तंत्र

बैंक में नीतियों, तंत्रों और विवरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो विभिन्न ईएसजी पहलुओं में बैंक की प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन और सहयोग करती है।

व्यवसाय के नैतिक सिद्धांत

बैंक अपनी उपस्थिति और क्रियाकलापों के हर पहलू में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि यह भारत के नागरिकों द्वारा सृजित है और उन्हीं से अनवरत कार्यरत है। देश के नागरिकों के भरोसे और भारत की सार्वजनिक निधियों के प्रबंधक के रूप में, बैंक के हर कर्मचारी का नागरिकों के प्रति एक कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है तथा बैंक अपने सभी कार्यों में इससे निर्देशित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। तदनुसार, बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम (www.eximbankindia.in/rti-act) की धारा 4(1) (बी) के अनुपालन में अपनी वेबसाइट पर सक्रियता से प्रकटीकरण किया है। बैंक की वेबसाइट (www.eximbankindia.in/rti-act) पर बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने के निर्देश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

व्यवसाय के नैतिक सिद्धांतों को केंद्र में रखकर बैंक द्वारा अंगीकृत की गई नीतियां और संहिताएं

निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम

- बैंक ने निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम* को अंगीकृत किया है, जो बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू है।
- इसमें बैंक के अधिकारियों पर यथा लागू सत्यनिष्ठा, आचरण, गोपनीयता का अनुपालन, हितों के टकराव, कदाचार के लिए दंड, अनुशासनिक प्रक्रिया, अपील आदि से संबंधित विनियम शामिल हैं।

नागरिक चार्टर

- बैंक की प्रतिबद्धता है कि अपने सभी हितधारकों के साथ सभी डीलिंग सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सम्मान की बुनियाद पर आधारित होंगी।
- भारत के कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक विधियों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पूर्णतः अनुपालन करेगा।
- अपने विभिन्न हितधारकों के प्रति बैंक के दायित्व इसके नागरिक चार्टर* में बताए गए हैं।

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

- आचार संहिता* बनाई गई है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका, सुशासन पद्धतियों के लिए बैंक के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

आचार संहिता

- बैंक ने ऋणदाता की देयता के लिए आचार संहिता को अंगीकृत किया है।
- संहिता दस्तावेज में आवेदन, मूल्यांकन, संवितरण, पर्यवेक्षण आदि जैसे सभी चरणों में बैंक की ऋण गतिविधियों में स्पष्टता, पारदर्शिता और अनुक्रियात्मकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया गया है।

विसल ब्लोअर नीति

- बैंक ने सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति के रूप में एक सतर्कता तंत्र विकसित किया है और इसे अंगीकृत किया है।*
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति इस सतर्कता तंत्र और सचेतक से प्राप्त सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखती है।

घूसखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति

- सतर्कता - तंत्र के हिस्से के रूप में बैंक ने घूसखोरी और भ्रष्टाचार निरोधक नीति को अंगीकृत है जो भ्रष्टाचार नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

*बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है | #बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध है

कार्यस्थल और मानव पूंजी

बैंक, प्रतिभा विकास में विश्वास करता है और इसके लिए क्षमतावान व्यक्तियों को चिह्नित कर उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए अवसर प्रदान करता है। बैंक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन्नति के अवसरों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक संवृद्धि और विकास में निवेश करता है। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिवेश प्रदान करने के क्रम में बैंक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सख्ती से निषेध करता है। बैंक कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखता है और **कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम के अनुरूप इस संबंध में एक नीति** को अंगीकृत किया गया है। कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंक में एक आंतरिक समिति है।

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन नीति, साइबर सुरक्षा संबंधी फ्रेमवर्क के रणनीतिक दिशानिर्देशों को परिभाषित करते हैं। यह फ्रेमवर्क बैंक के साइबर बुनियादी ढांचे व्यावसायिक सेवाओं तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स पर साइबर हमलों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, समुचित कार्रवाई करने और रिकवरी के लिए जरूरी है।

सूचना सुरक्षा नीति

सूचना सुरक्षा नीति में वे नियम और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें बैंक द्वारा अपनी प्रक्रियाओं और कंप्यूटर एवं सूचना संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। सूचना सुरक्षा नीति, किसी सूचना संपत्ति को हानि, या संभावित नुकसान से बचाती है और संसाधनों के समुचित उपयोग में मददगार है। यह नीति बैंक में व्यापक सूचना सुरक्षा तंत्र स्थापित करने हेतु प्रबंधन की गंभीरता को भी प्रदर्शित करती है।

शिकायत निवारण-तंत्र

बैंक ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और विवादों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से हल करने के महत्त्व को समझता है। कोई भी उधारकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकते हैं, जो एक पदनामित वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। पदनामित अधिकारी के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट उधारकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी सामान्यतया बैंक के उप प्रबंध निदेशक होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, प्रबंध निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होते हैं। बैंक में एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है और उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण अधिकारी और उधारकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी और निवेशक शिकायतों की सहायता और निपटान के लिए अधिकारी के विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

सूचना सुरक्षा और डेटा संरक्षण

सूचना सुरक्षा, सूचना जोखिमों को कम करते हुए सूचना को सुरक्षित रखने की पद्धति है। सूचना सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप, बैंक के डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, चोरी या क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

सूचना सुरक्षा कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं:

- **गोपनीयता**: यह सुनिश्चित करना कि संवेदनशील जानकारी तक केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच हो और अनधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं के समक्ष प्रकट न हो।
- **सत्यनिष्ठा**: अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ से सूचना को सुरक्षित रखना ताकि सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- **उपलब्धता:** यह सुनिश्चित करना कि जरूरत पड़ने पर अधिकृत कर्मियों के लिए सूचना सुलभ हो और साइबर हमलों या अन्य सुरक्षा घटनाओं से सिस्टम प्रभावित न हों।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और वल्नरेबिलिटी प्रबंधन जैसे श्रृंखलाबद्ध सुरक्षा नियंत्रण विकसित किए हैं। सूचना सुरक्षा कार्य का नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सिसो) द्वारा किया जाता है, जो सुरक्षा नियंत्रणों के कार्यान्वयन और रखरखाव संबंधी कार्य देखते हैं। सिसो यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर काम करते हैं कि बैंक की सुरक्षा स्थिति बैंक के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है।

साइबर अपराधियों के रूप में साइबर जोखिम परिदृश्य बहुत खराब हो गया है और और साइबर हमले करने वाले लोग विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को लक्षित कर अधिक एडवांस तरीकों से हमले कर रहे हैं। साइबर जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने सूचना सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के लिए एक सुपरिभाषित गवर्नेंस संरचना बनाई है। बैंक में सीसो के नेतृत्व में एक सूचना सुरक्षा इकाई (आईएसयू) का गठन किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना को अंगीकृत किया गया है।

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रणनीतिक दिशानिर्देशों को परिभाषित करती हैं, जो बैंक की साइबर अवसंरचना, व्यवसाय सेवाओं और अन्य संबंधित आस्तियों पर प्रभावी ढंग से साइबर हमलों का पता लगाती हैं, जिसमें उन साइबर हमलों पर समुचित कार्रवाई करना और रिकवरी शामिल है।

आईएसयू द्वारा डेटा सुरक्षा जोखिम और साइबर सुरक्षा संबंधी विनियमों के अनुपालन जैसे अन्य साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी की जाती है। बैंक ने साइबर खतरे से बचे रहने के लिए सक्रिय रूप से साइबर स्वच्छता (हाइजीन) में सुधार और नियंत्रण परिवेश के लिए विशिष्ट संसाधन लगाना जारी रखा है।

बैंक का डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी साइट आईएसओ 27001:2023 प्रमाणीकृत हैं। आईएसओ 27001 प्रमाणन सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और इसमें लगातार सुधार लाने की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। इस मानक में सूचना सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा नीतियां और प्रक्रियाएं, पहुंच नियंत्रण, घटना प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता शामिल हैं। बैंक का डेटा सेंटर (डीसी) और आपदा बहाली स्थल आईएसओ 27001 प्रमाणित हैं। इसमें एक अपेक्षा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा ऑडिट कराना भी शामिल है, जो यह सत्यापित करता है कि बैंक का आईएसएमएस, आईएसओ 27001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में है।

बैंक ने उद्यम स्तर पर सूचना आस्तियों की निगरानी के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है। एसओसी में सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, जो बैंक की प्रौद्योगिकी अवसंरचना में उत्पन्न लॉग एकत्र और संकलित करता है। बैंक की आस्तियों की निगरानी की जा रही है। एसओसी टीम द्वारा रक्षा और नेटवर्क सुरक्षा में कमी चिह्नित करने के लिए रेड टीमिंग कार्य भी किया जाता है।

बैंक ने नियमित रूप से वल्नरेबिलिटी मूल्यांकन और पेनिट्रेशन जांच (वीएपीटी) के लिए इन-हाउस क्षमताएं विकसित की हैं। बैंक गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता (सीआईए) के अनुसार आईटी जोखिम मूल्यांकन करता है और सूचना आस्तियों की समुचित जोखिम रैंकिंग के साथ एक जोखिम रजिस्टर तैयार करता है।

बैंक सूचना / साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहलें करता है और साइबर सुरक्षा खतरों पर कर्मचारियों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, और डिजिटल प्लैटफॉर्मों के सुरक्षित तरीके से उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करता है।

बैंक साइबर सुरक्षा के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, क्योंकि बैंक न सिर्फ संस्था, बल्कि अपने ग्राहकों की सुरक्षा को भी वरीयता देता है। बैंक के सभी कर्मचारियों को साइबर/सूचना सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाया जाता है और इसके बाद उनका एक व्यापक सूचना सुरक्षा मूल्यांकन भी किया जाता है। ये मूल्यांकन उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए कार्यबल की तैयारी के एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में काम करते हैं।

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के प्रति बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण में साल में दो बार फ़िशिंग सिमुलेशन आयोजित करना भी शामिल है। ये सिमुलेशन, बैंक की सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं। इनके जरिए बैंक को अपनी जागरूकता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के दौरान, बैंक को ग्राहक निजता के उल्लंघन, ग्राहकों के डेटा के लीक होने, चोरी होने अथवा किसी भी तरह की क्षति से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली।

बैंक का डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी साइट आईएसओ 27001:2023 प्रमाणित हैं।

सतर्कता

सतर्कता बैंकिंग उद्योग का एक मूलभूत पहलू है, जो परिचालनों की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा और अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता संबंधी किसी भी मामले के लिए बैंक की मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उनके संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। (www.eximbankindia.in/vigilance) बैंक द्वारा प्रणालीगत सुधार के लिए निरंतर निवारक उपाय किए जाते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के क्रम में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने चुनिंदा क्षेत्रों में निवारक उपायों पर फोकस करने के उद्देश्य से तीन महीने का एक अभियान चलाया। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल रहे:

- लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प पर जागरूकता
- अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करके फोकस क्षेत्रों पर क्षमता निर्माण
- शिकायत निपटान के लिए आईटी का सदुपयोग करना
- प्रणालीगत सुधारों को चिह्नित करना एवं उनका कार्यान्वयन
- शिकायतों का निस्तारण
- परिपत्र/दिशानिर्देश/मैनुअल को अपडेट करना

इस अभियान अवधि के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सीवीसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया:

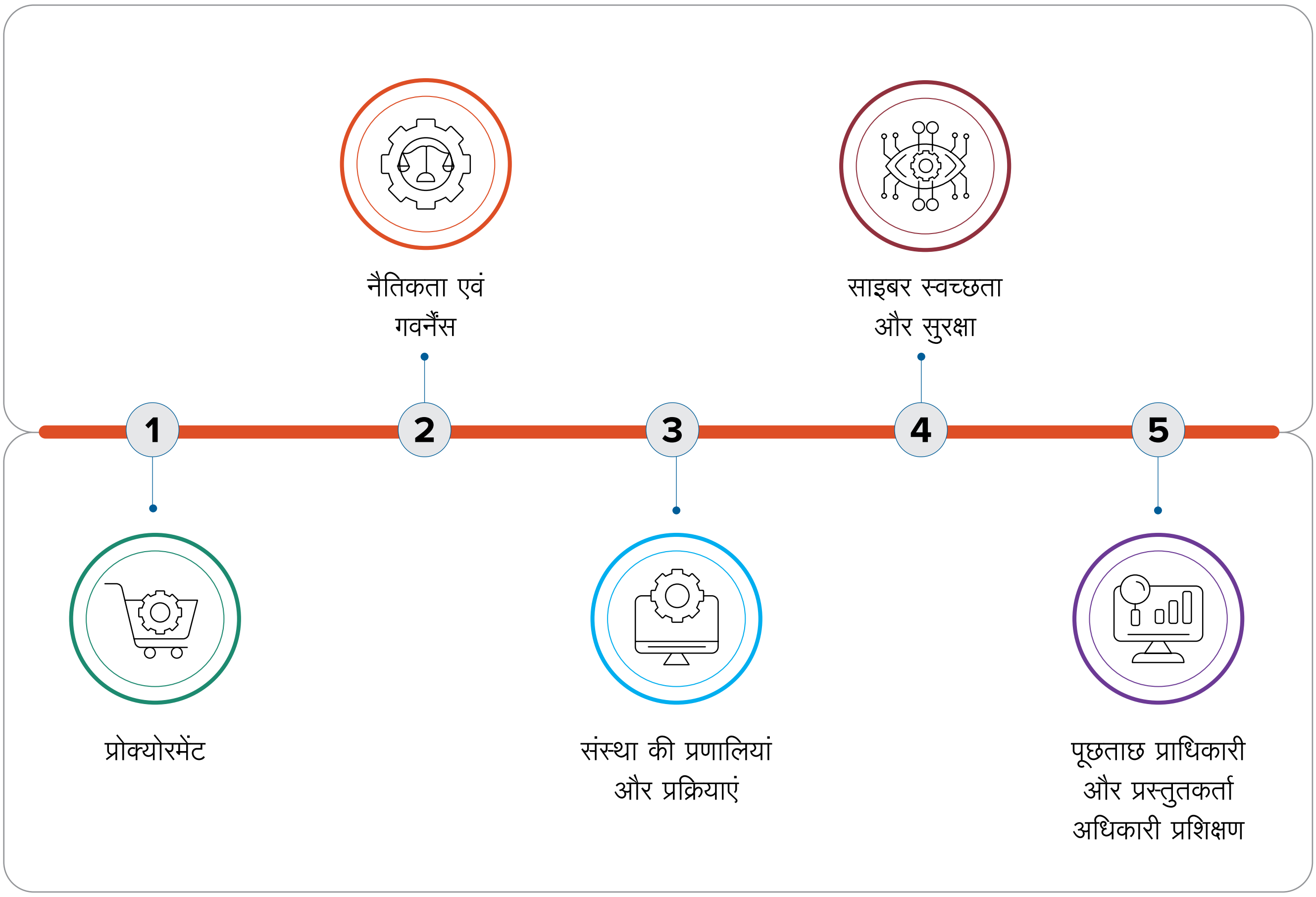

वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक द्वारा 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्‌घाटन कर्मचारियों के बीच सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ किया गया, ताकि अधिकारियों को सत्यनिष्ठा बनाए रखने और कार्यस्थलों और जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निरंतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशक, श्री श्रीकांत नामदेव द्वारा "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में बताया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर कर्मचारियों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, बैंक ने लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम पर विभिन्न पोस्टर और वीडियो भी तैयार किए। ये पोस्टर और वीडियो जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए और विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों पर साझा किए गए। बैंक ने ई-प्रतिज्ञा को भी बढ़ावा दिया और ग्राहकों और विक्रेताओं को ई-प्रतिज्ञा लेने और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सप्ताह के दौरान, प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी और उप प्रबंध निदेशक ने बैंक की सतर्कता ई-पत्रिका का विमोचन किया। सप्ताह के दौरान, सतर्कता संबंधी कार्यों और व्यावसायिक नैतिकता के महत्त्व के प्रति जागरूकता पर केंद्रित एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान अतिथि व्याख्यान का आयोजन

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट

एक्ज़िम बैंक के बारे में

एक नजर में

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना, समय–समय पर यथा संशोधित, भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक निगम के रूप में की गई थी। बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक, पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बैंक भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय चक्र के सभी चरणों में व्यापक सहायता प्रदान करता है। बैंक के वित्तीय उत्पाद भारतीय निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी के आयात, निर्यात उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजारों तक पहुंच बनाने और वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं।

पॉलिसी बैंक के रूप में एक्ज़िम बैंक, सहभागी देशों को उनकी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए वित्त प्रदान कर और विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में सकारात्मक सामाजिक–आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने के साथ–साथ उच्च मूल्य वर्धित और प्रौद्योगिकी–गहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर भारत सरकार की विकास साझेदारी को सुगम बनाने में भी सहायक रहा है।

बैंक के हितधारक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं से भी लाभान्वित होते हैं। इनमें अनुसंधान, मार्केटिंग सहयोग, क्षमता विकास कार्यशालाएं और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों के लिए प्रशिक्षण के साथ–साथ सेमिनारों, वेबिनारों तथा एक्ज़िम मित्र पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारियों का प्रसार करना शामिल है।

मानव संसाधन

बैंक में यथा 31 मार्च, 2024 को कुल अधिकारियों की संख्या 432 है। सभी अधिकारी बैंकर, प्रबंधन स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ और आईटी विशेषज्ञ सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

भौगोलिक उपस्थिति

बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विदेशों में आबिदजान, अदिस अबाबा, ढाका, दुबई, जोहान्सबर्ग, सिंगापुर, वाशिंगटन, डीसी और यांगून में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और लंदन में एक शाखा है।

रिपोर्टिंग सीमा

एक्ज़िम बैंक ने अपने सभी परिचालनों में जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए परिचालनगत नियंत्रण पद्धति अपनाई है। सीमा में बैंक के अखिल भारतीय परिचालन को कवर किया गया है। यह रिपोर्ट बैंक के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रबंधन प्रक्रियाओं और पद्धतियों को भी चिह्नित करती है।

परिचालन सीमा

वार्षिक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 उत्सर्जन, कॉर्पोरेट लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक: जीएचजी गणना मानकः ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल में अपेक्षित अनुसार हैं, जिसमें निम्नलिखित पांच सिद्धांत शामिल हैं:

क) प्रासंगिकता: जीएचजी गणना में प्रासंगिकता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के सटीक और सार्थक माप और रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त उत्सर्जन स्रोतों और सीमाओं के चयन के महत्त्व पर बल दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि गणना में ऐसे सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोतों और गतिविधियों पर फोकस है जिनका समग्र उत्सर्जन प्रोफाइल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक जटिलता या मामूली उत्सर्जन वाली रिपोर्टिंग से बचा जाता है। प्रासंगिकता के सिद्धांत में माना जाता है कि सभी उत्सर्जन स्रोत जलवायु परिवर्तन में अपने योगदान के संदर्भ में समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ गतिविधियों या क्षेत्रों में अन्य की तुलना में अधिक उत्सर्जन हो सकता है और उन प्रमुख स्रोतों पर फोकस करने से उत्सर्जन प्रबंधन और उन्हें कम करने के प्रयासों के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण मिलता है। सबसे प्रासंगिक स्रोतों को चिह्नित कर और उन्हें शामिल कर, संस्थाएं सार्थक उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए संसाधनों और कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं। प्रासंगिकता सिद्धांत के तहत उपयुक्त उत्सर्जन सीमाओं का चयन करना भी अहम है। ये सीमाएं गणना के दायरे को परिभाषित करती हैं और तय करती हैं कि कौनसी गतिविधियों और उत्सर्जन स्रोतों को गणना में शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है। स्पष्ट सीमाएं परिभाषित कर संस्थाएं सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी उत्सर्जन गणना में उनके परिचालनों के सबसे प्रासंगिक पहलू आ गए हैं।

ख) पूर्णता: जीएचजी गणना में पूर्णता का सिद्धांत गणना प्रक्रिया में सभी प्रासंगिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों और शामिल न किए जाने वाले उत्सर्जनों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। इसके लिए गणना के परिभाषित दायरे और सीमाओं के भीतर सभी महत्त्वपूर्ण स्रोतों से उत्सर्जन को शामिल करना आवश्यक है। पूर्णता का

सिद्धांत सभी उत्सर्जन स्रोतों से गणना कर किसी संस्था या इकाई के कार्बन फुटप्रिंट का व्यापक और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि गणना में जीएचजी उत्सर्जनों का समग्र और व्यापक मूल्यांकन किया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन को कैप्चर करता है, जिसमें प्रत्यक्ष उत्सर्जन (स्कोप 1), खरीदी गई ऊर्जा से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (स्कोप 2), और मूल्य श्रृंखला गतिविधियों (स्कोप 3) से अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल हैं। यह गणना प्रक्रिया सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए किसी संस्था के समग्र उत्सर्जन प्रभाव की अधिक सटीक समझ प्रदान करती है।

ग) समरूपता: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गणना में समरूपता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापते और रिपोर्ट करते समय समरूप पद्धतियों, मान्यताओं और डेटा के उपयोग के महत्त्व पर बल दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जीएचजी गणना में समरूप दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है और उत्सर्जन ट्रेंड की सटीक ट्रैकिंग, विभिन्न गणना अवधियों के बीच तुलना और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आकलन को सुगम बनाता है। समरूपता से विभिन्न गणना अवधियों, संस्थाओं या क्षेत्रों के बीच सार्थक तुलना की जा सकती है। समरूप पद्धतियों का उपयोग कर, ट्रेंड चिह्नित करना, समय के साथ उत्सर्जन में परिवर्तन का विश्लेषण करना और उत्सर्जन में कमी के उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, जीएचजी गणना में समरूपता से संस्थाओं को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाता है। समरूप पद्धतियों और मान्यताओं का उपयोग कर यह आकलन करना संभव हो जाता है कि उत्सर्जन समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है और यह भी तय किया जा सकता है कि उत्सर्जन कम करने के प्रयासों से वांछित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं।

घ) पारदर्शिता: जीएचजी गणना में पारदर्शिता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने में उपयोग की जाने वाली विधियों, डेटा स्रोतों और गणना प्रक्रियाओं के खुले तौर पर प्रकटीकरण के महत्त्व पर बल दिया गया है। इसमें स्पष्ट और सुलभ दस्तावेज प्रदान करना शामिल है, जो रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन के रेप्लिकेशन और सत्यापन को संभव बनाता है। पारदर्शिता, रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में भरोसे और विश्वास को बढ़ावा देती है। साथ ही, इससे हितधारकों के लिए उत्सर्जन सूचना की विश्वसनीयता का आकलन करना सुगम हो जाता है और उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों और पहलों के बारे में सुविचारित निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। पारदर्शिता निवेशकों, ग्राहकों, नियामकों और जनता सहित हितधारकों के बीच भरोसा एवं विश्वास पैदा करती है। हितधारक संस्थाओं द्वारा अपने तरीकों और डेटा स्रोतों का प्रकटीकरण करने से रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता का आकलन कर सकते हैं। यह पारदर्शिता विश्वसनीयता बढ़ाती है और सुविचारित निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पारदर्शी रिपोर्टिंग उत्सर्जन डेटा के रेप्लिकेशन और सत्यापन को संभव बनाती है। विधियों, डेटा स्रोतों और गणना प्रक्रियाओं के स्पष्ट प्रलेखन से स्वतंत्र पक्ष रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन की सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन कर सकते हैं। रेप्लिकेशन और सत्यापन उत्सर्जन डेटा की विश्वसनीयता और जीएचजी गणना की संपूर्णता को बढ़ाते हैं।

ङ) सटीकता: जीएचजी गणना में सटीकता के सिद्धांत में यह सुनिश्चित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है कि उत्सर्जन अनुमान सटीक और स्पष्ट हैं। इसके लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गणना और रिपोर्टिंग में त्रुटियों और अनिश्चितताओं को कम करने हेतु विश्वसनीय डेटा, उपयुक्त पद्धतियां और गुणवत्ता आश्वासन उपायों को नियोजित करने की आवश्यकता है। सटीक और स्पष्ट उत्सर्जन अनुमान निर्णय लेने, लक्ष्य निर्धारण और उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में प्रगति का आकलन करने के लिए अधिक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। सटीक उत्सर्जन डेटा उत्सर्जन में कमी के उपायों की प्रभाविता का आकलन करने और समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है। इससे संस्थाओं को कार्यान्वित रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने और अपने उत्सर्जन प्रबंधन प्रयासों में सुविचारित समायोजन करना संभव हो पाता है। सटीक उत्सर्जन अनुमान सुविचारित निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। संस्थाएं, नीति निर्माता और अन्य हितधारक उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियां और नीतियां बनाने के लिए उत्सर्जन डेटा पर निर्भर होते हैं। गलत अनुमानों से निर्णय और संसाधनों का आवंटन गलत हो सकता है।

एक्ज़िम बैंक जीएचजी सिद्धांतों के महत्त्व को समझता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की सटीक गणना और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर बल देता है। अपनी सस्टैनेबिलिटी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए हम उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने के लिए जीएचजी प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट मानक का पालन करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि हमारी जीएचजी गणना पद्धतियां विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जीएचजी प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट मानक के अनुरूप हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सटीक गणना और प्रकटीकरण सुनिश्चित करती हैं।

परिचालन सीमा निश्चित करने के लिए, बैंक ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) सहित अपने संचालन से जुड़े प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विभिन्न स्रोत चिह्नित किए हैं। इन स्रोतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके स्रोतों के आधार पर स्कोप 1, 2 या 3 के रूप में अभिहित किया गया है। पीएफसी और एसएफ का उत्सर्जन शून्य माना गया है, क्योंकि बैंक की संगठनात्मक और परिचालन सीमा के भीतर इन उत्सर्जनों का कोई प्रमुख स्रोत नहीं है।

स्कोप	स्रोत
स्कोप 1	कंपनी की कारें
	बैंक के स्वामित्व वाले डीजी सेट
	एचवीएसी रेफ्रिजरैंट लीक
	अग्निशमन यंत्र
स्कोप 2	कार्यालयों में खरीदी गई बिजली
	लीज्ड डीजी/प्राकृतिक गैस सेट
स्कोप 3	हवाई मार्ग से व्यवसाय यात्राएं (घरेलू)

एक्ज़िम बैंक ने भारत में अपने कार्यालयों से जीएचजी उत्सर्जनों की गणना की है, जिनके लिए परिचालनों पर बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण है और जहां बैंक जीएचजी उत्सर्जनों को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। इसमें बैंक के अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे स्थित घरेलू क्षेत्रीय कार्यालयों में लीज़ पर ली गई सभी सुविधाएं शामिल हैं। इन कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण अनुलग्नक 1 में है।

रिपोर्टिंग अवधि और आधार वर्ष

रिपोर्टिंग अवधि: 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024

आधार वर्ष: वित्तीय वर्ष 2023-24

पद्धति

विभिन्न जीएचजी स्रोतों से जुड़ा डेटा संबंधित विभागों और घरेलू कार्यालयों द्वारा एक्सेल स्प्रेडशीट प्रारूप में रखा जाता है और इसकी जांच स्रोत दस्तावेज से की गई है।

जीएचजी स्रोत का प्रकार	जीएचजी गतिविधि डेटा	स्रोत	डेटा लिए जाने की फ्रीक्वेंसी
बैंक के स्वामित्व वाले डीजल जेनरेटर सेट	ईंधन की मात्रा (लीटर में)	ईंधन बिल	मासिक
बैंक द्वारा लीज़ पर लिए गए डीजल/प्राकृतिक गैस जेनरेटर सेट	ईंधन की मात्रा (डीजल के लिए लीटर और प्राकृतिक गैस के लिए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर)	ईंधन के बिल	मासिक
कंपनी की कारें	ईंधन की मात्रा (लीटर)	ईंधन के बिल	मासिक
एचवीएसी रेफ्रिजरैंट लीक	रेफ्रिजरैंट रीफिल मात्रा (किलोग्राम) आर-22, आर-32	विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई राशि	वार्षिक
खरीदी गई बिजली	बिजली की खपत (केडब्ल्यूएच)	बिजली के बिल	मासिक
हवाई यात्रा	यात्री-किलोमीटर	बैंक का आंतरिक ऑनलाइन पोर्टल (टाइस)	वार्षिक

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता निम्नलिखित अनुसार है:

स्कोप	जीएचजी उत्सर्जन 2 के टन में	अस्थिरता % में	2 में अस्थिरता
स्कोप 1	138.89	0	0
स्कोप 2	1300.98	0	0
स्कोप 3	328.32	10	32.832

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सारांश

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए जीएचजी उत्सर्जन निम्नलिखित अनुसार हैं:

स्कोप	जीएचजी उत्सर्जन 2 के टन में	प्रति कर्मचारी जीएचजी उत्सर्जन 2 के टन में	प्रति वर्ग फुट जीएचजी उत्सर्जन 2 के टन में
स्कोप 1	138.89	0.24	0.001
स्कोप 2	1300.98	2.28	0.006
स्कोप 3	328.32	0.58	0.001
कुल	**1768.19**	**3.10**	**0.008**

कार्यालय-वार जीएचजी उत्सर्जन अनुलग्नक 2 में प्रस्तुत किए गए हैं। दर्शाए गए उत्सर्जनों की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए उत्सर्जन फैक्टर अनुलग्नक 3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

रिपोर्ट संरक्षक

सुश्री मंजिरी भालेराव
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
ईमेल: manjiri@eximbankindia.in

अनुलग्नक 1: एक्ज़िम बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

1. **अहमदाबाद**

   साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास, एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006, गुजरात, भारत
   फोन: +91 79 26576852/26576843
   ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

2. **बेंगलूरु**

   रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु 560 001, कर्नाटक, भारत
   फोन: +91 80 25585755/25589101-04
   ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

3. **चंडीगढ़**

   सी-213, दूसरी मंज़िल , एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र फेज -1, चंडीगढ़ 160002
   फोन: +91 172 - 2997960-63
   ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

4. **चेन्नै**

   ओवरसीज टॉवर, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल, नं. 756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002 तमिलनाडु, भारत
   फोन: +91 44 28522830/31
   ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

5. **गुवाहाटी**

   नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी 781006, असम, भारत
   फोन: +91 361 2237607/609
   ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

6. **हैदराबाद**

   गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना, भारत
   फोन: +91 40 23307816-21
   ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

7. **कोलकाता**

   वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700 016, पश्चिम बंगाल, भारत
   फोन: +91 33 68261301/300
   ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

8. **मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय**

   8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर , नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021, महाराष्ट्र, भारत
   फोन: +91 22 22861300
   ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

9. **मुंबई-प्रधान कार्यालय**

   केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005, महाराष्ट्र, भारत
   फोन: +91 22 22172600
   ई-मेल: ccg@eximbankindia.in

10. **नई दिल्ली**

    ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, एड्जेसेंट टू रिंग रोड, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023 भारत
    फोन: +91 11 61242600 / 24607700
    ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

11. **पुणे**

    नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411 004, महाराष्ट्र, भारत
    फोन: +91 20 26403000
    ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

अनुलग्नक 2: कार्यालय-वार जीएचजी उत्सर्जन 2 किलोग्राम में

मानदंड	अहमदाबाद	बेंगलूरु	चेन्नै	चंडीगढ़	गुवाहाटी	मुंबई-प्रधान कार्यालय	मुंबई-नरीमन पॉइंट	हैदराबाद	कोलकाता	नई दिल्ली	पुणे	सभी कार्यालय
स्कोप 1 (कुल)	**28.0**	**1137.2**	**0.0**	**4.5**	**14.0**	**60262.5**	**812.4**	**54911.1**	**3414.6**	**18309.9**	**0.0**	**138894.1**
1.1 स्टेशनरी की खपत	0.0	1117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	0.0	0.0	0.0	1649.2
1.2 मोबाइल का उपयोग	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59450.1		699.1	3414.6	15584.4	0.0	79148.1
1.3 गैर-इरादतन उत्सर्जन	28.0	20.0	0.0	4.5	14.0	812.4	812.4	53680.0	0.0	2725.5	0.0	58096.8
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 1	**2.3**	**113.7**	**0.0**	**0.5**	**2.3**	**172.2**	**16.2**	**5491.1**	**243.9**	**215.4**	**0.0**	**243.7**
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 1	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.5**	**0.1**	**6.7**	**0.4**	**0.5**	**0.0**	**0.6**
स्कोप 2 (कुल)	**23149.3**	**156441.2**	**75775.5**	**16512.1**	**11776.4**	**573937.2**	**125540.4**	**48065.7**	**28953.1**	**218789.2**	**22040.6**	**1300980.7**
2.1 खरीदी गई बिजली	23149.3	156441.2	75516.0	16501.2	11517.8	573937.2	125540.4	48065.7	28953.1	212526.9	22027.6	1294176.4
2.2 खरीदी गई ऊर्जा	0.0	0.0	259.5	10.9	258.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6262.3	13.0	6804.3
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 2	**1929.1**	**15644.1**	**5828.9**	**1651.2**	**1962.7**	**1639.8**	**2510.8**	**4806.6**	**2068.1**	**2574.0**	**2204.1**	**2282.4**
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 2	**2.3**	**15.7**	**7.7**	**3.5**	**3.3**	**5.2**	**8.2**	**5.8**	**3.1**	**6.3**	**6.2**	**5.9**
स्कोप 1 + स्कोप 2 (कुल)	23177.3	157578.4	75775.5	16516.6	11790.4	634199.6	126352.8	102976.8	32367.7	237099.1	22040.6	1439874.8
प्रति कर्मचारी स्कोप 1 + स्कोप 2	1931.4	15757.8	5828.9	1651.7	1965.1	1812.0	2527.1	10297.7	2312.0	2789.4	2204.1	2526.1
प्रति वर्ग फुट स्कोप 1 + स्कोप 2	2.3	15.8	7.7	3.5	3.3	5.7	8.2	12.5	3.5	6.9	6.2	6.5
स्कोप 3 (कुल)												**328315.2**
3.6 व्यावसायिक यात्राएं						328315.2						
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 3												576.0
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 3												1.5
कुल स्कोप 1 + स्कोप 2 + स्कोप 3												**1768190.0**
प्रति कर्मचारी कुल उत्सर्जन												**3102.1**
प्रति वर्ग फुट कुल उत्सर्जन												**8.0**

अनुलग्नक 3: उत्सर्जन कारक

स्कोप	गतिविधि का प्रकार	प्रकार	संदर्भ
स्कोप 1	कंपनी की कारें	पेट्रोल	कंपनी रिपोर्टिंग के लिए यूके सरकार के जीएचजी उत्सर्जन परिवर्तन कारक, डीईएनजेड/डीईएफआरए, जून 2023 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2023
	बैंक के स्वामित्व वाले डीजी सेट	डीजल	
	एचवीएसी रेफ्रिजरेंट लीक	आर-22, आर-32 रेफ्रिजरेंट	
	अग्निशमन यंत्र	CO2	
स्कोप 2	कार्यालयों में खरीदी गई बिजली	स्थान-संपूर्ण भारत; यूनिट केडब्ल्यूएच में	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)-भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए 2 बेसलाइन डेटाबेस, वर्ज़न 19.0. https://cea.nic.in/cdm-co2-baseline-database/?lang=en
	लीज़ पर डीजी/प्राकृतिक गैस सेट	डीजल /प्राकृतिक गैस	कंपनी रिपोर्टिंग के लिए यूके सरकार के जीएचजी उत्सर्जन परिवर्तन कारक, डीईएनजेड/डीईएफआरए, जून 2023 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2023
स्कोप 3	व्यावसायिक हवाई यात्राएं	उड़ान: घरेलू	हवाई मार्ग से यात्रियों और सामग्री के परिवहन के लिए भारत के संदर्भ में हवाई यात्रा उत्सर्जन कारक, भारत जीएचजी कार्यक्रम (2015) https://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2021/12/WRI-2015-India-Specific-Air-Transport-Emission-Factors.pdf

जीआरआई विषय-वस्तु इंडेक्स

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने यह रिपोर्ट जीआरआई मानकों के अनुरूप 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए तैयार की है।

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
जीआरआई 2 सामान्य प्रकटीकरण				
संस्था और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं				
2-1	संस्था का विवरण	एक्ज़िम बैंक के बारे में	2-4	
2-2	संस्था की सस्टैनेबिलिटी रिपोर्टिंग में शामिल संस्थाएं	रिपोर्ट के बारे में	5	
2-3	रिपोर्टिंग अवधि, आवृत्ति और संपर्क बिन्दु	रिपोर्ट के बारे में	5, बैक कवर	
2-4	सूचना का पुनर्कथन	रिपोर्ट के बारे में	5	
2-5	बाह्य आश्वासन	जीएचजी उत्सर्जन रिपोर्ट	60-64	बैंक ने अपनी जीएचजी उत्सर्जनों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया है। बैंक द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट के संबंध में आश्वासन बाद में लिए जाने पर विचार किया जाएगा।
गतिविधियां और कार्मिक				
2-6	गतिविधियां, मूल्य श्रृंखला और अन्य व्यवसाय संबंध	एक्ज़िम बैंक के बारे में, रिपोर्ट के बारे में	4-5	
2-7	कर्मचारी	विविधता और कर्मचारी कल्याण	39-41	
2-8	कार्मिक जो कर्मचारी नहीं हैं	विविधता और कर्मचारी कल्याण	39	
गवर्नेंस				
2-9	गवर्नेंस संरचना और संयोजन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43-45	
2-10	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय का नामांकन और चयन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43-44	
2-11	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की अध्यक्षता	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43-44	
2-12	प्रभावों के प्रबंधन की निगरानी में सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की भूमिका	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	44-45	
2-13	प्रभाव प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	8, 45-48	
2-14	प्रभावों के प्रबंधन की निगरानी में सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की भूमिका	हितधारक संबंध और भौतिक मूल्यांकन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	5,8,47-48	

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
2-15	हितों का टकराव	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	48	
2-16	मुख्य चिंताएं सूचित करना	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	49	
2-17	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय का सामूहिक ज्ञान	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	47	
2-18	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	47	
2-19	पारिश्रमिक नीतियां	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 79-80	
2-20	पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 79-80	
2-21	वार्षिक कुल क्षतिपूर्ति अनुपात	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 80	
रणनीतियां, नीतियां और प्रक्रियाएं				
2-22	संपोषी विकास रणनीति की विवरणी	प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	6-7	
2-23	नीतिगत प्रतिबद्धताएं	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	47	
2-24	नीतिगत प्रतिबद्धताएं लागू करना	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	47	
2-25	नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	49	
2-26	शिकायत एवं सचेतक प्रक्रिया	विविधता और कर्मचारी कल्याण, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	39, 48-49	
2-27	नियम, विनियमों का अनुपालन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	45, 48, 50-52	
2-28	सदस्यताएं	संवर्धन और विकास भूमिका, वार्षिक रिपोर्ट	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 48-49	
2-29	हितधारक संबंध दृष्टिकोण	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	8	
2-30	सामूहिक सौदा करार	लागू नहीं		कार्य शर्तें और कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें सामूहिक सौदा करार के आधार पर प्रभावित या निर्धारित नहीं होती है।
जीआरआई 3 प्रभाव संबंधी मदों का प्रकटन				
प्रभाव संबंधी विषय				
3-1	प्रभाव मदों को निर्धारित करने की प्रक्रिया	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	8	
3-2	प्रभाव मदों की सूची	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	9-11	

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
आरआई 200 आर्थिक प्रकटन				
अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव				
203-1	इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और सेवाओं को सहायता	पर्यावरणीय प्रभाव, समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रबंधन	17-27, 29-37	
203-2	प्रमुख अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	पर्यावरणीय प्रभाव, समवेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रबंधन	17-27, 29-37	
जीआरआई 300 पर्यावरणीय प्रकटीकरण				
305-1	प्रत्यक्ष (स्कोप 1) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	13-14, 53-56	
305-2	अप्रत्यक्ष ऊर्जा (स्कोप 2) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	13-14, 53-56	
305-3	अन्य अप्रत्यक्ष (स्कोप 3) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	13-14, 53-56	
305-4	जीएचजी उत्सर्जन गहनता	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	13-14, 53-56	
305-5	जीएचजी उत्सर्जन में कमी	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन	14-15	
जीआरआई 400 सामाजिक प्रकटीकरण				
नियोजन				
401-3	पैतृक अवकाश	विविधता और कर्मचारी कल्याण	40	
प्रशिक्षण और शिक्षा				
404-2	कर्मचारी कौशल उन्नयन और ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम	विविधता और कर्मचारी कल्याण	41	
विविधता और अवसरों की समानता				
405-1	विविध गवर्नेंस निकाय और कर्मचारी	विविधता और कर्मचारी कल्याण	39-40	
गैर-भेदभाव				
406-1	भेदभाव की घटनाएं और सुधारात्मक कार्रवाई	विविधता और कर्मचारी कल्याण	39	
स्थानीय समुदाय				
413-1	स्थानीय समुदाय की संपर्क, प्रभाव का मूल्यांकन और विकास कार्यक्रम	समावेशी वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास	29-37	
ग्राहक निजता				
418-1	ग्राहक निजता का उल्लंघन और ग्राहक डेटा की क्षति से संबंधित शिकायतें	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	49-50	

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन : (91 22) 22172600
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन: (91 79) 26576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु 560 001.
फोन: (91 80) 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximabro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1,
चंडीगढ़ 160 002.
फोन: (91 172) 2997960-63,
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in>

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल,
756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002.
फोन: (+91 44) 28522830/31
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी 781 006.
फोन: (91 361) 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

लखनऊ
इकाई संख्या 101,102 और 103, पहली मंज़िल, शालीमार इरिडियम विभूति
खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226 010
फोन: (91 522) 6188035
ई-मेल: lro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन: (91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण
केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
फोन: (9133) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर IV, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन: (91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल,
रिंग रोड के पास, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110 023.
फोन: (91 11) 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा,
भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411 004.
फोन: (91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन (शाखा)
5वीं मंजिल, 35, किंग स्ट्रीट, लंदन- ईसी2वी 8 बीबी,
यूनाइटेड किंगडम
फोन: (44) 20 77969040
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

आबिदजान
5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्तर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
आबिदजान, कोत दि'वार
फोन: (225) 27 20242951/ 37
ईमेल: eximabidjan@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट संख्या 11,
रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी, ढाका 1213, बांग्लादेश
फोन: (880) 255042444
ईमेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1 बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
फोन: (971) 436377462
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट,
सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैंडटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (+27 11) 3265103/13
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

नैरोबी
नैरोबी यूनिट 1.3, द ओवल, जालाराम रोड, वैस्टलैंड्स, नैरोबी, केन्या
फोन: (254) 741757567
ई-मेल: eximnairobi@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, #10-02, सिंगापुर 049319
फोन: (65) 65326464
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी.सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन डब्ल्यू, सुइट 1202, वाशिंगटन डी.सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: (1) 2022233238
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यॉंगॉन
08/05, आठवीं मंज़िल, यूनियन फायनैंशियल सेंटर (टॉवर-ए), 45वां
स्ट्रीट, महार बंडूला रोड, बोटाहटौंग टाउनशिप, यॉंगॉन, म्यांमार.
फोन: (95) 9423694109
ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005

+91-22-22172600 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in

हमें फॉलो करें